मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

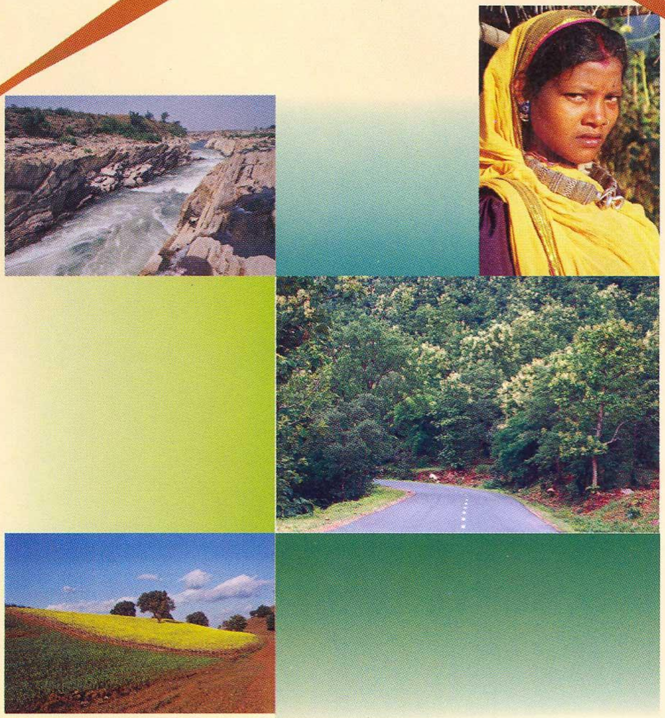

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2006 - 07

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2006–07

संकलन एवं आकल्पन

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन,
भोपाल

आवास एवं पर्यावरण विभाग

विभागीय संरचना

मंत्री	श्री जयंत मलैया
प्रमुख सचिव	श्री प्रभु दयाल मीना
अपर सचिव	श्री अरूण कोचर
उप सचिव	श्री आर.के. त्यागी
उप सचिव	सुश्री वर्षा नावलेकर
अवर सचिव	श्री सी.बी. पड़वार

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना **1–3**

अध्याय–1
नगर तथा ग्राम निवेश **4–13**

अध्याय–2 **14–21**
राजधानी परियोजना प्रशासन

अध्याय–3 **22–40**
गृह निर्माण मण्डल

अध्याय–4 **41–45**
मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ

अध्याय–5 **46–49**
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास संघ

अध्याय–6 **50–63**
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अध्याय–7 **64–73**
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

अध्याय–8 **74–78**
झील संरक्षण प्राधिकरण

अध्याय–9 **79–88**
आपदा प्रबंध संस्थान

आवास एवं पर्यावरण

आवास एवं पर्यावरण विभाग की दो शाखाएं है, जिनके उद्देश्य एवं उनके अन्तर्गत आने वाले विषयों का विवरण निम्नानुसार है :–

आवास

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से आवास निर्माण योजनाएं, शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण योजनाएं एवं भवन निर्माण, आवास नीति, म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम और म. प्र. प्रकोष्ठ अधिनियम आदि से संबंधित कार्य संपादित होते है।

पर्यावरण

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से भूमि प्रबंध, विकास योजनाएं और नियोजन, जैव संसाधन विकास, प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण सुधार, राजधानी परियोजना, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र से जुड़े कार्य संपादित किये जाते है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाएं निम्नलिखित है :–

- नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय
- राजधानी परियोजना
- गृह निर्माण मण्डल
- मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ
- मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम
- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
- झील संरक्षण प्राधिकरण
- आपदा प्रबंध संस्थान

संक्षेपिका

स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण तथा उपयुक्त आवास प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है। यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित न रख सके तो पृथ्वी से मानव सभ्यता का विनाश दूर नहीं है। अतः हमें ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण एवं विकास एक दूसरे के पूरक बने जिससे स्वपोषी विकास संभव हो सके। अब यह स्वीकार किया जा चुका है कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का सामना करने एवं पर्यावरण के सुधार में उभरती जन जागृति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य शासन स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण तथा उपयुक्त आवासीय अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना में बनाना, उनका समय–समय पर पुनरीक्षण करना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा छोटे एवं मझोले नगरों का एकीकृत विकास भी शासन की प्राथमिकता है। संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेष द्वारा अब तक 61 नगरों की विकास योजनाये तैयार की जा चुकी है। राज्य को 8 निवेष क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है, जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स क्षेत्र की विकास योजना तैयार कर ली गई है। संचालनालय द्वारा पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की भी विकास योजनायें तैयार की है।

घर मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का प्रयास रहा है कि राज्य के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का आवास हो। म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा राज्य की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन हितग्रहियों को विभिन्न प्रकार के आवासीय भवन एवं भू–खण्ड विकसित कर आवश्यक नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किये जा रहे है। मंडल द्वारा पिछले वर्ष तक विभिन्न श्रेणियों के 1,57,172 आवास गृह एवं 1,42,480 भू–खण्ड विकसित कर हितग्राहियों को उपलब्ध कराये जा चुके है। वर्ष 2006–07 की अवधि मे 2800 भू–खण्ड एवं 2000 भवन निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर रू. 150.00 करोड़ की राशि व्यय की जावेगी। मण्डल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कम लागत की नई–निर्माण तकनीक को जनोन्मुखी बनाने हेतु प्रचार–प्रसार एवं यथोचित उपयोग हेतु भी प्रयास किये जा रहे है।

पर्यावरणीय अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के संतुलित विकास हेतु पर्यावरण नीति बनाई गई है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्रोतों की गुणवत्ता मापन एवं निगरानी तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। सभी जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के लिये 27 बृहद एवं मध्यम श्रेणी के व 23 लघु श्रेणी के उद्योगो द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 13 बृहद एवं मध्यम श्रेणी के व 7 लघु श्रेणी के उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उपकरण लगाये गये है। छोटे एवं आर्थिक रूप से कमजोर उद्योगो के दूषित जल उपचार हेतु संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र योजना के अन्तर्गत गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त शोधन संयंत्र का निर्माण कराया गया। इसमें राज्य शासन के 25 प्रतिशत, केन्द्र सरकार के 25 प्रतिशत, हितग्राहियो के 10 प्रतिशत तथा शेष 40 प्रतिशत बैक ऋण से आर्थिक व्यवस्था की गई।

राज्य के स्वपोषी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य शासन की संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की भूमिका को सुनिश्चित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित एवं संतुलित उपयोग के आधार पर प्रदेश के विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता को शामिल करने हेतु ब्रिटेन सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इन्टरनेशनल डवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) के सहयोग से

एक परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजना के तहत डी.एफ.आई.डी. द्वारा 6.06 करोड़ का अनुदान 2 वर्षो के लिए दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय हरित कोर योजनान्तर्गत राज्य की जनता एवं विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता लाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। पचमढ़ी एवं अमरकंटक को भारत सरकार की योजनान्तर्गत जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर इनके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

जल संसाधनों के स्वपोषी पर्यावरणीय प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश झील संरक्षण प्रधिकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्राधिकरण प्रदेश के विभिन्न तालाबों का अध्ययन कर एवं डी.पी.आर. बना कर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता हेतु प्रयास करने के साथ–साथ जल संसाधनों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु जन जागरूकता पैदा करने का कार्य कर रहा है।

प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं के रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु गठित आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कायक्रम संचालित किये जाते है। वर्ष 2006–07 में दिसम्बर माह तक 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संस्थान को देश के 5 चुनिंदा प्रशिक्षण संस्थानों मे ''इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम'' पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण सूचना तंत्र (एनविस) नोड की स्थापना की गई है।

नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

विभागीय संरचना

नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय का मुख्यालय भोपाल में है, जिसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार है :–

संचालक
अपर संचालक
संयुक्त संचालक
उप संचालक
सहायक संचालक एवं
कर्मचारीगण

संचालनालय ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी स्थित भवन में दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है।

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश **श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी**

अधीनस्थ कार्यालय

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीन 24 कार्यालय हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

1.	संयुक्त संचालक स्तर के कार्यालय	ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इंदौर, भोपाल	6
2.	उप संचालक स्तर के कार्यालय	खण्डवा, सतना, नीमच, उज्जैन, देवास, गुना, शहडोल	7
3.	सहायक संचालक स्तर के कार्यालय	रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, छतरपुर, विदिशा, राजगढ़, मण्डला, कटनी, भिण्ड, झाबुआ.	11
	कुल कार्यालय		**24**

विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायें

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है । वर्तमान में निम्न प्राधिकरण कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकरण		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
1.	भोपाल	1.	नर्मदा घाटी (हरसूद)
2.	इंदौर	2.	ग्वालियर प्रति–आकर्षण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
3.	ग्वालियर	3.	पचमढ़ी
4.	उज्जैन		
5.	जबलपुर		
6.	देवास		

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व

1. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यकलाप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नानुसार हैं :–

(अ) **प्रादेशिक विकास योजना** – राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर ली गयी है।

(ब) **नगर विकास योजना** – राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 61 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	नगर का नाम	प्रारुप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि
1	2	3	4	5	6
1	इंदौर	10.06.1974	01.03.1975	विकास प्राधिकरण	1991
2	भोपाल	19.11.1974	25.08.1975	विकास प्राधिकरण	1991
3	उज्जैन	20.05.1975	28.10.1975	विकास प्राधिकरण	1991
4	खजुराहो	26.10.1975	11.10.1977	नगर पंचायत	1991
5	जबलपुर	26.08.1977	28.09.1979	विकास प्राधिकरण	1991
6	ग्वालियर	09.03.1979	21.10.1980	विकास प्राधिकरण	1991
7	देवास	04.09.1979	10.03.1986	विकास प्राधिकरण	1991
8	शिवपुरी	25.04.1987	05.08.1988	नगर पालिका	2001
9	चंदेरी	27.06.1987	24.01.1989	नगरपालिका	2001
10	रतलाम	24.06.1985	28.05.1990	नगर निगम	2001

11	रीवा	28.03.1987	27.11.1990	नगर निगम	2001
12	सतना	29.08.1986	18.04.1991	नगर निगम	2001
13	बुरहानपुर	26.02.1993	08.06.1995	नगर निगम	2005
14	नव हरसूद	23.01.1995	14.02.1997	विशेष क्षेत्र विकास प्रा.	2011
15	दमोह	04.07.1994	19.03.1998	नगर पालिका	2005
16	चित्रकूट	06.09.1994	03.08.1998	नगर पंचायत	2005
17	बीना	15.04.1999	14.01.2000	नगरपालिका	2011
18	सागर	05.06.1999	03.03.2000	नगर निगम	2011
19	सांची	01.11.1999	11.07.2000	नगर पंचायत	2011
20	नीमच	25.10.1999	05.07.2000	नगर पालिका	2011
21	पन्ना	21.10.1999	17.05.2000	नगरपालिका	2011
22	ग्वालियर साडा	22.10.1999	24.04.2000	विशेष क्षेत्र विकास प्रा.	2011
23	इटारसी	22.02.2000	09.03.2001	नगरपालिका	2011
24	खण्डवा	29.02.2000	09.03.2001	नगर निगम	2011
25	मैहर	18.09.2000	31.08.2001	नगरपालिका	2011
26	मांडव	24.01.2001	02.11.2001	नगर पंचायत	2011
27	छिंदवाड़ा	14.02.2001	09.08.2002	नगरपालिका	2011
28	शहडोल	22.01.2001	05.12.2002	नगरपालिका	2011
29	खरगौन	16.03.2002	05.12.2002	नगर पालिका	2011
30	जावरा	25.03.2002	16.12.2002	नगर पालिका	2011
31	विदिशा	10.08.2001	21.01.2003	नगरपालिका	2011
32	मंदसौर	29.09.2003	12.05.2003	नगरपालिका	2011
33	पाण्ढुर्ना	21.01.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011
34	गुना	29.03.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011
35	झाबुआ	05.05.2003	10.10.2003	नगरपालिका	2011
36	भिण्ड	04.09.2003	28.05.2004	नगरपालिका	2011
37	सीहोर	27.06.2001	31.05.2004	नगरपालिका	2011

38	बड़वानी	06.07.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011
39	टीकमगढ़	28.02.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011
40	सिहोरा	23.06.2004	28.01.2005	नगरपालिका	2011
41	सिंगरौली	20.08.2004	20.05.2005	नगर निगम	2011
42	अमरकंटक	30.10.2004	20.05.2005	नगर पंचायत	2015
43	बैतूल	10.12.2004	30.08.2005	नगरपालिका	2011
44	महेश्वर	22.03.2005	12.09.2005	नगर पंचायत	2015
45	होशंगाबाद	27.04.2005	03.02.2006	नगर पालिका	2011
46	बालाघाट	29.06.2005	26.05.2006	नगरपालिका	2021
47	शाजापुर	06.09.2005	12.052006	नगरपालिका	2021
48	ओंकारेश्वर	18.11.2005	11.08.2006	नगर पंचायत	2021
49.	राजगढ़	16.01.2006	11.08.2006	नगर पंचायत	2021
50.	पचमढ़ी	11.08.1998	–	विशेष क्षेत्र विकास प्रा.	2011
51.	ओरछा	03.08.2002	–	नगर पंचायत	2011
52.	छतरपुर	16.10.2002	–	नगरपालिका	2011
53.	उमरिया	18.03.2006	–	नगरपालिका	2021
54	हरदा	27.03.2006	–	नगरपालिका	2015
55	कटनी	31.03.2006	–	नगरनिगम	2021
56	मण्डला	31.05.2006	–	नगरपालिका	2021
57	नरसिंहपुर	29.07.2006	–	नगरपालिका	2021
58	बैरसिया	29.07.2006	–	नगर पंचायत	2011
59.	आष्टा	30.08.2006	–	नगरपालिका	2021
60.	सीधी	25.09.2006	–	नगरपालिका	2021
61	नरसिंहगढ़	29.09.2006	–	नगरपालिका	2021

पुनर्विलोकन के अन्तर्गत विकास योजनाएं

1.	भोपाल	17.10.1994	09.06.1995	विकास प्राधिकरण	2005
2.	खजुराहो	04.03.1994	05.06.1995	नगर पंचायत	2011
3.	ग्वालियर	29.10.1995	19.03.1998	विकास प्राधिकरण	2005
4.	जबलपुर	29.12.1995	08.12.1998	विकास प्राधिकरण	2005

5.	देवास	18.03.2002	17.12.2002	विकास प्राधिकरण	2011
6.	उज्जैन	13.08.2005	06.06.2006	विकास प्राधिकरण	2021
7.	इंदौर	13.07.2006	-	विकास प्राधिकरण	2021

(स) **पुनरीक्षित विकास योजना** – इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है।

(द) **परिक्षेत्रिक योजना** – नगर विकास योजना को क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निवेश इकाईयों में विभक्त किया जाता है तथा प्रत्येक इकाई की परिक्षेत्रिक योजना बनाने का प्रावधान भी अधिनियम, 1973 में है। वर्ष 1999 में परिक्षेत्रिक योजना बनाने का दायित्व संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप नगरीय निकायों को सौंपा गया है।

(इ) **छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना –** केन्द्र प्रवर्तित छोटे तथा मझौले नगरों के विकास हेतु विभिन्न उपांगों संबंधी प्रयोजनों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा वित्त प्रदाय का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है।

(फ) **लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना** – केन्द्र शासन के सहयोग की इस बहुआयामी योजना अंतर्गत छोटे एवं मझौले नगरों के विकास हेतु विभिन्न उपांगों संबंधी प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रदाय का कार्य संपादित किया जाता है । यह योजना नई परियोजनाओं हेतु छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई है।

2. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व :–

(अ) प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।
(ब) प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।
(स) प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशि उधार लेने के प्रस्तावों का परीक्षणं
(द) प्राधिकारियों की योजनाओं एवं कार्यालयों का राज्य शासन के अनुमोदन अनुसार वार्षिक निरीक्षण।

3. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के कियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना। संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का कियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है।

नेशनल अर्बन इन्फार्मेशन सिस्टम, योजना के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश नोडल एजेन्सी के रूप में भी कार्यरत है।

विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजनाओं हेतु निगरानी करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं।

बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 आदि भी शामिल किये गये हैं। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई गयी है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

कमांक	**गतिविधियां**	**उपलब्धि**
1.	निवेश क्षेत्र	149
2.	विशेष क्षेत्र	03
3.	भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	88
4.	विकास योजना प्रकाशन	61
5.	पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन	07
6.	म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील	95
7.	आई.डी.एस.एम.टी. योजनायें	145
8.	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	22

विकास योजना बनाने में जनसंख्या का प्रतिशत

नगर विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के प्रथम श्रेणी के कुल 26 नगरों में से 25 नगरों की तथा द्वितीय श्रेणी के कुल 26 नगरों में से 13 नगरों तथा अन्य 23 नगरों की विकास योजनायें तैयार की जा चुकी हैं। इस प्रकार कुल 61 विकास योजनाओं द्वारा प्रदेश की 65 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भाग – दो

बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई :–

वर्ष	**आवंटन (लाख रू.में)**	**व्यय**
2004–2005	948.07	547.22
2005–2006	844.20	585.18
2006–2007	10549.179*	10549.179* (संभावित)

टीप– *1. केन्द्रांश तथा राज्यांश मिलाकर।

भाग – तीन

राज्य प्रवर्तित योजना

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	2004–05 2005–06 2006–07	15 15 16	6 9 16	29.87 47.01 45.00	26.61 40.11 45.00+
2.	प्रादेशिक योजना	2005–06 2006–07	2 प्रा.का. 1	2 प्रा.का. 1	5.00 4.00	4.10 4.00+
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	2004–05 2005–06 2006–07	– – –	– – –	5.00 2.00 2.00	4.48 1.97 2.00+

टीपः–1. सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके 16 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया।
+ संभावित व्यय

केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुदान आधारित) :

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
		लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना					
1	2004–2005	32	27	1369.74 913.16	774.10 केन्द्रांश 516.13 राज्यांश
2	2005–2006	30	17	433.50 289.00	433.50 केन्द्रांश 289.00 राज्यांश
3	2006–2007 (संभावित)	31	31	1056.36 704.30	1056.00 केन्द्रांश 704.30 राज्यांश
लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना					
1.	2006–07 (संभावित)	25	25	8737.50	8737.50*

*केन्द्रांश तथा राज्यांश मिलाकर ।

वित्तीय वर्ष 2006–2007 दिसम्बर 2006 तक की उपलब्धियाँ :

– **विकास योजना प्रकाशित** — 1. मंडला 2. नरसिंहपुर 3. बेरसिया 4. आष्टा 5. सीधी 6. नरसिंहगढ़ 7. इंदौर (2021) पुर्नविलोकन एवं उपांतरण

– **विकास योजना प्रभावशील** — 1. शाजापुर, 2. बालाघाट, 3. ओंकारेश्वर 4. राजगढ़, 5. उज्जैन (2021)

–	**विकास योजना अनुमोदन हेतु शासन के विचाराधीन**	1. ओरछा 2. उमरिया, 3. मण्डला 4. हरदा 5. कटनी
–	**विकास योजना तैयार**	1. जबलपुर (2021) 2. अशोकनगर 3. अलीराजपुर, 4. सिवनी, 5. छतरपुर
–	**प्रादेशिक योजना कार्य प्रगति पर**	नर्मदा ताप्ती रीजन
–	छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.)	अनुदान राशि मुक्त केन्द्रांश रूपये 281.25 लाख राज्यांश रूपये 187.53 लाख

इस योजना अन्तर्गत प्रदेश के 10 नगरों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश रु. 187.53 लाख तथा केन्द्रांश रु. 281.25 लाख संबंधित स्थानीय निकायों को परियोजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गईं। 10 नगरों के नाम निम्नानुसार है :–

1. शिवपुरी 2. गढ़ाकोटा 3. लहार 4. जावद 5. तेंदूखेड़ा 6. नागौद 7. आरोन 8. सोनकच्छ 9. नौगांव 10. राजपुर.

लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना योजनांतर्गत 22 नगरों की योजनायें तैयार की गयी हैं, जिनमें से 9 योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं तथा भारत सरकार द्वारा रूपये 3581.58 लाख मुक्त किए जाकर राज्य शासन को उपलब्ध कराये हैं।

भाग –चार

न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

विगत एक वर्ष की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 119 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये जिनमें से 13 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

प्रशासकीय गतिविधियॉं

अ– विगत एक वर्ष की अवधि में राजपत्रित स्तर के 8 अधिकारियों तथा 22 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये, जिनमें से 2 स्थानांतर निरस्त किए गए।

ब– विगत एक वर्ष की अवधि में अराजपत्रित वर्ग में 11 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।

स– विशेष भरती अभियान के अंतर्गत 1 तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की गयी।

विधायी से संबंधित कार्यकलाप

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है।

इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में संशोधन

प्राकृतिक आपदाओं से हानि कम करने तथा ''बहुआयामी'' सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम की धारा 2, 15, 17, 18(1), 27 एवं 29 में प्रावधान किया गया है।

विकास योजनाओं के कार्य में गति लाने के उद्देश्य से धारा 17–क (1) में गठित समिति को उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप समिति में सम्मिलित प्रतिनिधियों को संचालक द्वारा तैयार की गई विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई हेतु संशोधन किया गया है।
धारा 23–क में अनुमोदित विकास योजनाओं में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण के निवेदन पर भारत सरकार या राज्य सरकार और उसके उद्यमों के लिए या राज्य में विकास से संबंधित किसी परियोजना के लिए विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना में राज्य सरकार द्वारा उपांतरा का प्रावधान किया गया है।

म.प्र. भूमि विकास नियम में संशोधन

रेन वाटर हार्वेस्टिंग उपायों की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान नियम 17(5) एवं 78 (4) में शामिल किया गया है।

नियम 61 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत स्थापित होने वाली साफ्टवेयर इकाईयों के लिए निर्धारित तल क्षेत्र अनुपात में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान लागू किया गया है।

मल्टीप्लेक्स निर्माण के प्रावधान हेतु नया नियम 90–क अन्तःस्थापित किया गया है।

भाग – पाँच

विशिष्ट पहल

1. भोपाल विकास योजना–2005 का पुनर्विलोकन, मूल्यांकन कर उपान्तरण का कार्य सुदूर संवेदन आधुनिक तकनीकी संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से किया जा रहा है तथा इंदौर की उपांतरित विकास योजना वर्ष 2021 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित की जाकर प्रारूप प्रकाशन किया गया है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय जी.आई. एस. डाटाबेस तथा नेशनल अर्बन डाटा बैंक एवं इंडीकेटर्स विकसित करन के उद्देश्य से प्रारंभ की गई अर्बन इन्फार्मेशन सिस्टम योजना के प्रथम चरण में चयनित छः नगरों– जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, देवास एवं सतना मानचित्रीकरण का कार्य सर्वे ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्रारंभ किया गया है तथा डाटा बैंक हेतु अपेक्षित जानकारी संबंधित स्थानीय निकायों के माध्यम से तैयार कराने की पहल की गई है।

भाग – छः

प्रकाशन

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से कोई प्रकाशन नहीं किया जाता है। परन्तु नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

भाग – सात

राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु श्रीमती सुप्रिया पेंडके, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 85 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 18 प्रतिशत है।

राज्य महिला नीति के बिंदु क्रमांक 50 के अनुरूप नये आवासीय काम्पलेक्स में झूलाघर के लिये बुनयादी ढांचा, सुविधाओं के संबंध में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 में प्रावधान है तथा झूलाघर, सभी भूमि उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य है।

भाग – आठ

सारांश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 149 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 88 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका ह। 61 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें प्रदेश की लगभग 65 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 7 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन भी किया गया है। छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना, जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है, को भारत शासन द्वारा ऋण के स्थान पर अनुदान में परिवर्तित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश के 145 नगरों को सम्मिलित किया जा चुका है। नई परियोजनाओं हेतु केन्द्र शासन द्वारा लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के माध्यम से 22 योजनायें तैयार की गयी हैं जिनमें से 9 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग – एक

संरचना

- **प्रशासक**
  - **उप प्रशासक**
    - **अधीक्षण यंत्री**
      - कार्यपालन यंत्री –1
        - उपसंभाग 6,8,10
      - कार्यपालन यंत्री–2
        - उपसंभाग 2,3,4,9
      - भवन नियंत्रक
        - उपसंभाग 5,7 एवं एच.ओ.डी. उपसंभाग
      - कार्यपालन यंत्री वि/यॉ
        - वि/यॉ उपसंभाग
      - वनमण्डलाधिकारी
        - ए.सी.एफ–1
        - ए.सी.एफ–2

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरांत जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तो यह प्रतीत हुआ कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनने के साथ – साथ आगामी समय में प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है जिसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारंभ हुआ। उस समय की राजधानी की रूपरेखा उसके विकास एवं तात्कालिक जनसंख्या विकास हेतु राजधानी परियोजना की स्थापना की गई। राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य संपादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10–11 गुना बढ़ चुका है और क्षेत्रफल/ फेलाव में भी यह शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ़ चुका है। भोपाल क्रमशः महानगर के रूप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत/ मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना विभिन्न कार्यो हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप शासकीय भवनों/ कार्यालयों/ आवासगृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण बाग–बगीचों का विकास आदि कार्य उस समय जितना प्रारंभिक कार्य आवश्यक था, उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज भी है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः तीन शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैं :–

1. मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/ विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य संपादित किये जा रहे है। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय, सतपुड़ा/ विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधानसभा भवनों का रख–रखाव संबंधी कार्यो के साथ ही बाग–बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गो के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, एवं विद्युतीकरण संबंधी अनेकों कार्य किये जा रहे है। इनके अंतर्गत अधीक्षण यंत्री कार्यालय, 4 कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं 9 उपसंभागीय कार्यालय एवं अधीनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2. वन मण्डल, राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अंतर्गत वन मण्डल कार्यालय का गठन दिनांक 21.02.1986 को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है। भोपाल शहर पहाड़ी एवं पथरीली होने के कारण यहॉ भूमि को बड़े ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्वा के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उनका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवांछनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमियों के अवैद्य उत्खन्न एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकतानुसार फेन्सिंग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना गंदे नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटाव को भू–संरचना उपायों से रोकना।

3. नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना नजूल अधिकारी के माध्यम से राजधानी क्षेत्र की समस्त रिक्त शासकीय नजूल भूमियों का राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य संपादित किये जा रहे है। रिक्त समस्त शासकीय नजूल भूमियों के मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूमि उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय विभागों/ संस्थाओं का समस्त जांच उपरांत भूमि का आरक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर राजस्व विभागों द्वारा उसके आवंटन की कार्यवाही की जाती है, नजूल अधिकारी की सहायता के लिए दो तहसीलदार एवं 6 नायब तहसीलदार मय अधीनस्थ अमले के मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के मेन्युअल अनुसार कार्यरत है।

भाग – दो

बजट प्रावधान – लक्ष्य व्यय (योजनावार)

(रू. लाखों में)

क्र.	शीर्ष / उपशीर्ष	वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय 11/06 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21/4217 0.51 भूमि	1.01	0.99	2.00	2.26	2.00	1.18
2	3763 आवासीय भवन	17.25	17.25	250.00	251.58	100.00	209.40
3	284 गैर आवासीय भवन	116.07	120.68	262.26	262.26	100.00	87.35
4	4339 सड़क एवं पुल	793.36	793.37	1118.70	1118.70	2314.65	769.08
	केन्द्रीय अतिरिक्त सहायता			500.00	500.00		
5	1021 अन्य व्यय क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण	482.84	499.13	453.21	499.52	100.00	317.11
6	3414 मशीन एवं उपकरण	1.00	1.32	1.00	1.23	2.00	1.94
7	6851 गैस त्रासदी स्मारक का निर्माण	–	–	30.00	30.00	1010.00	–
8	21/2217 स्थापना व्यय	200.00	218.27	220.00	201.62	73.07	38.38
9	21/2217 आयोजना (ए. आर.) विधानसभा	544.58	550.10	585.00	584.93	–	–
	21/2217 आयोजना/ 21/4217 आयोजना :– योग	2156.11	2201.11	3422.17	3452.10	3701.72	1424.44
10	स्थापना व्यय नान प्लान	327.43	351.09	367.35	329.70	534.45	368.49
11	21/4217 आयोजनेत्तर 284 अरहवासीय भवन 24 अनुरक्षण कार्य (ए.आर)	200.99	217.68	300.00	310.39	–	–
12	21/2059 आयोजनेत्तर 6720 कार्या. भवनों का रख–रखाव व 32 लघु निर्माण कार्य 33– अनुरक्षण कार्य	0 0	0 0	0 0	0 0	650.00 660.00	433.76 381.99
13	21/2216 आयोजनेत्तर – 6218 सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत 32 लघु निर्माण कार्य 33 अनुरक्षण कार्य	0 0	0 0	0 0	0 0	30.00 31.00	2.10 17.18
14	6989 विधायक विश्राम गृह की मरम्मत – 32 लघु निर्माण कार्य 33 अनुरक्षण कार्य	0 0	0 0	0 0	0 0	40.00 40.00	– –

भाग तीन अ

राज्य योजनायें

वर्ष 2006 – 2007

मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन हेतु वर्ष 2006 – 07 के लिये रूपये 3701.72 लाख का आवंटन प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये गये / किये जा रहे है।

1. मेन रोड क्रमांक 3 एम.ए.सी.टी. चौराहे से भदभदा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का शेष कार्य।
2. कोलार मार्ग कोलार जंक्शन से बैरागढ़ चिचली तक सड़क चौड़ीकरण का शेष कार्य।
3. कोलार मार्ग के पृथक (8 कि.मी.) पर विद्युतीय का शेष कार्य।
4. कोलार रोड एवं शाहपुरा रोड जंक्शन का उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य
5. रायसेन चौराहे से अशोका गार्डन होते हुए रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक मार्ग का शेष निर्माण कार्य।
6. लालघाटी चौराहे का विकास कार्य एवं हाकर्स कार्नर का निर्माण।
7. 1100 क्वाटर्स से मनीषा मार्केट तक सड़क चौड़ीकरण कार्य।
8. कमला नेहरू स्कूल से प्रकाश स्विमिंग पूल जंक्शन तक (प्रथम चरण) मुख्य मार्ग क्रमांक 1 का चौड़ीकरण एवं विकास का शेष कार्य।
9. एम.पी. नगर के झोन–1 एवं 2 के राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से महाराणा प्रताप चौराहा से प्रगति पेट्रोल पंप तक सड़क का मजबूतीकरण का शेष कार्य।
10. साकेत नगर से बाग सेवनिया तक सड़क का शेष निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य।
11. आर.आर.एल से साकेत नगर तक मार्ग निर्माण का शेष कार्य।
12. बाग मुगालिया मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण कार्य।
13. न्यूमार्केट रोशनपुरा एवं रंगमहल भोपाल के मुख्य मार्ग के सेन्ट्रलवर्ज में आरनामेन्टल ग्रिल लगाने का कार्य।
14. भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर हॉकर्स कार्नर, ओटो स्टेन्ड आदि का निर्माण।

15. गुफा मन्दिर से लालघाटी सड़क के पास तक निर्माण कार्य (बरेला ग्राम होते हुए)

16. हबीबगंज ओव्हर ब्रिज से मिसरोद तक सड़क निर्माण के प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ।

17. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर स्थित आर.आर.एल. से साकेत नगर तक प्रस्तावित 120 फिट चौड़ी सड़क का विद्युतीकरण कार्य।

18. विट्ठल मार्केट सब्जी मण्डी का निर्माण का शेष कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य।

19. भोपाल शहर की मेन सड़कों का उन्नतीकरण कार्य।

20. चूनाभट्टी से यूनानी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योथेरेपी कॉलेज होते हुए सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ।

21. मेन रोड नं. 2 एवं कोलार रोड के तिराहे का विकास कार्य।

22. चार इमली चौराहे का विकास कार्य।

23. मंत्रालय वल्लभ भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।

24. मयूर पार्क उद्यान का विस्तार कार्य तथा मयूर पार्क के पास मेन रोड नं. 1 में फुटपाथ का निर्माण कार्य।

25. राज्य जन जातीय संग्रहालय का निर्माण कार्य।

26. ठंडी सड़क का व़िद्युतीकरण कार्य।

27. रायसेन रोड जुबली गेट से भवानी धाम होते हुए अयोध्या बाय पास तक चार लेन सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ।

28. हबीबगंज रेलवे क्रांसिंग से शक्ति नगर – साकेत नगर तक चार लेन सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ।

29. पिपलानी बी.एच.ई.एल. क्षेत्र में नये स्वीमिंग पूल का निर्माण कार्य प्रारम्भ।

प्रस्तावित कार्य

30. अवधपुरी बी.एच.ई.एल. तक नये बायपास रोड तक मार्ग का निर्माण।

31. बरखेड़ा सी सेक्टर से ऋषिपुरम वार्ड क्रमांक 59, भोपाल तक मार्ग का निर्माण।

32. बरखेड़ा पठानी से ग्राम अमरावत तक मार्ग का निर्माण

33. जे.के. रोड को पूर्ण कर अयोध्या नगर से जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण

34. त्रिलंगा से कलियासोत नदी को पार कर मंदाकिनी कॉलोनी व सर्वधर्म सी–सेक्टर तथा दानिश कुज को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण

35. जाटखेडी गाव से नयी जाटखेड़ी ग्राम को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण

36. खजूरी कला बी.एच.ई.एल. ग्राम चोर सागोनी तक सड़क का निर्माण

37. भोपाल रायसेन रोड 86 कि.मी. 13/6 से एन.एच. 12 कि.मी. 324/4 तक भोपाल बायपास का निर्माण

38. ग्राम सेमरा वार्ड 40 पर नाले का निर्माण कार्य

39. रंगमहल चौराहे से पलाश होटल तिराहे तक मार्ग चौड़ीकरण का कार्य

40. गांधी नगर तिराहे से संत आशाराम बापू आश्रम तक सड़क निर्माण कार्य

41. गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर–1 से सेमरा ग्राम तक मार्ग का निर्माण कार्य

42. भदभदा चौराहे से डिपो होते हुए पालीटेक्निक चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ ड्रेन आदी का निर्माण

43. रेतघाट चौराहे से पॉलीटेक्निक चौराहे तक चौराहे, सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ ड्रेन आदी का निर्माण

44. दानापानी से मिसरोद तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण (द्वितीय चरण)

45. पी एण्ड टी चौराहे से नेहरू नगर तक सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ, सेन्ट्रल वर्ज ड्रेन आदि का निर्माण

भाग तीन ब

केन्द्र प्रवर्तित योजना

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत वर्तमान में इस योजना के तहत कोई कार्य नहीं है।

भाग तीन स

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं –

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से कोई भी योजनाएं नहीं चल रही है।

भाग तीन द

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं / परियोजनाएं

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत विदेशी सहायता प्राप्त कोई भी योजनाएं नहीं चल रही है।

भाग तीन ई

अन्य योजनाएं

मध्य प्रदेश राज्य जन जाति संग्राहालय भवन का निर्माण प्रगति पर है।

भाग –चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. विभागीय पदोन्नति

वर्ष 2006–07 नवम्बर 2006 तक राजधानी परियोजना प्रशासन मण्डल में 4 भृत्य को भृत्य से दफ्तरी के पद पर एवं एच.ओ.डी मे एक सहायक ग्रेड–2 को सहायक ग्रेड–2 से सहायक ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नत किया गया है।

2. नियुक्ति

वर्ष 2006 – 2007 नवम्बर 2006 तक 1 स्वीपर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।

3. विभागीय जांच

वर्ष 2006 – 2007 नवम्बर 2006 तक किसी कर्मचारी/ अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच नहीं चल रही है।

4. न्यायालयीन प्रकरण

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब दावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

भाग – पॉच

अभिनव योजना

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत स्विमिंग पूल मे बच्चों के लिये अतिरिक्त स्विमिंग पूल का निर्माण एवं भोपाल शहर में स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्‍ मध्य प्रदेश जन जाति संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

भाग – छः – निरंक

भाग – सात

महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम तथा यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

यहां यह उल्लेखनीय है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में मंत्रालय वल्लभ भवन सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, नवीन विधान सभा भवन, मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, सांस्कृति भवन इत्यादि अति महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है, एवं इसका संधारण संबंधी कार्य भी किया जा रहा है। राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरूप आवश्यकता के अनुसार कई सडकों का निर्माण/ चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के शासकीय लगभग 6000 आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, इसके साथ ही राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तर के पार्को का विकास किया गया है यथा श्री गुरू गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क पॉच नम्बर पर जवाहर बाल उद्वान, स्वराज पार्क इत्यादि एवं इन पार्को के संधारण का कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

म. प्र. गृह निर्माण मंडल

भाग – एक

विभाग अध्यक्ष

अध्यक्ष	**श्री जयंत मलैया, मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग**
आयुक्त	**श्री आर. के. स्वाई (आई. ए. एस.)**
अपर आयुक्त (एन.)	**श्री आर. के. नवानी**
अपर आयुक्त (एस.)	**श्री ए. के. शुक्ला**
अधीनस्थ कार्यालय	उपायुक्त कार्यालय (वृत्त) सिविल के (आठ) और विद्युत का एक तथा संभागीय कार्यालय सिविल के (उन्तीस) और विद्युत के तीन व उपसंभागीय कार्यालय हैं।

मण्डल का दृष्टिकोण

(अ) सुनियोजित एवं व्यवस्थित नगर विकास को प्रोत्साहित करते हुये प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों की आवासीय एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में संपूर्ण निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना।

(ब) प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय समस्याओं के निराकरण के दृष्टिगत मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के भवन, भूखण्ड एवं आंशिक रूप से व्यवसायिक संपत्ति का निर्माण व केन्द्र शासन/प्रदेश शासन के विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों हेतु निक्षेप कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

मण्डल के उद्देश्य

(अ) समाज के सभी वर्गों हेतु आवासों एवं भूखण्डों का निर्माण/विकास।

(ब) सुनियोजित एवं व्यवस्थित नगरीय विकास एवं विस्तार के लिए प्रयास करना।

(स) निर्माण उद्योग में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर में वृद्धि करना।

(द) व्यवसायिक, आवासीय व अधोसंरचना विकास कर समय की आवश्यकता अनुसार प्रदेश में औद्योगिक व व्यवसायिक पूंजी निवेश को आकर्षित करना।

(ई) पर्यावरण के अनुकूल कम लागत की नई निर्माण तकनीकी को जनोन्मुखी प्रचार प्रसार एवं यथोचित उपयोग।

1. स्थापना

मध्यप्रदेश में एम.पी.हाउसिंग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई अधिनियम वर्ष 1972 के अंतर्गत कार्यरत है। बोर्ड की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर अनिवार्य नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये बोर्ड वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में सहायता प्राप्त करता है। ऋणों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा बोर्ड को गारंटी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी बोर्ड की विभिन्न आवासीय योजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नागरिकों को आवासीय सुविधा के साथ साथ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण माप–दण्डों के अनुसार बोर्ड समस्त आवासीय योजनाओं में विशिष्ट वर्गो के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराता है।

2. निर्माण एवं विकास कार्य

बोर्ड की स्थापना से 31 मार्च 2006 तक बोर्ड द्वारा विभिन्न आय वर्ग की श्रेणियों के लिये 1,57,172 आवास गृह तथा 1,42,480 भूखंड हितग्राहियों के लिये निर्मित एवं विकसित किये गये हैं। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन आदि के लिये भी लगभग 5200 भवनों को निर्मित कराया गया है।

वर्ष 2005–2006 की अवधि में 1400 भूखंड एवं 2000 भवन निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके बिरूद्ध 1599 भूखण्ड और 1742 भवनों का निर्माण किया गया है। जिस पर रू0 142.52 करोड की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2006–2007 की अवधि में 2800 भूखंड एवं 2000 भवन निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस पर रू0 150.00 करोड की राशि व्यय की जावेगी।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अपनी आवासीय गतिविधियों के साथ–साथ अन्य केन्द्र शासन, राज्य शासन व उनके उपक्रमों हेतु भी निक्षेप कार्यो को सम्पादित करता है। इस कड़ी में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। मण्डल तीन वर्षो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार रही है :–

1. भवन निर्माण

क्रमांक	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	264	180	402
2.	एल.आई.जी.	560	1026	477
3.	एम.आई.जी.	718	554	551
4.	एच.आई.जी.	464	367	312
	कुल	**2006**	**2127**	**1742**

2. भूखण्ड विकास

क्रमांक	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	298	363	493
2.	एल.आई.जी.	739	420	181
3.	एम.आई.जी.	482	411	568
4.	एच.आई.जी.	207	276	357
	कुल	**1726**	**1470**	**1599**

3. भू–अर्जन

क्रमांक	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	भू–अर्जन(हैक्टेयर)	40.402	53.40	13.09

4. टर्न ओव्हर

क्रमांक	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	सम्पत्ति का विक्रय एवं निक्षेप कार्यों पर व्यय	104.88 करोड़	127.76 करोड़	142.52 करोड़

5. स्वीकृत परियोजनाएँ

क्रमांक	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	14919.46	6250.00	6235.87
2.	उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत परियोजनायें	7141.11	3899.92	1962.00
3	उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	4582.60	2770.84	1196.88

6. प्रशासनिक व्यय

क्रमांक	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	प्रशाासनिक व्यय रू. लाख में	2779.14	2388.00	2604.00

आगामी दो वर्षों के प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	भवन	भूखण्ड	भू–अर्जन (हैक्टेयर)	टर्न–ओवर रू. करोड़ में	स्वीकृत परियोजनाएँ रू.करोड़ में	प्रशासनिक व्यय रू.करोड़ में
2006–07 (प्रस्तावित)	**2300**	**1700**	**40.00**	**125.00**	**100.00**	**26.00**
2007–08	**2500**	**2000**	**50.00**	**150.00**	**120.00**	**25.00**

(अनुमानित)						

मंडल की पिछले तीन वर्षों की विशेष उपलब्धियाँ

1. 15.00 करोड़ लागत की ISRO मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी समय पर पूर्ण व लोकार्पित
2. प्लैटिनम प्लाजा व प्लैटिनम पार्क पूर्ण
3. मैट्रो प्लाजा एवं सेंटर पाइंट पूर्ण
4. रिवैरा टाऊनशिप का चरणबद्ध कार्य प्रारंभ
5. प्रदेश में वर्तमान में रू. 250 करोड़ के कार्य प्रगति पर
6. प्रदेश के बाहर केन्द्रीय विद्यालयों का समयबद्ध निर्माण कार्य प्रगति पर

आई.एस.ओ.–9001

मण्डल द्वारा मंडल द्वारा अपनी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से निष्पादित करने के उद्धेश्य को दृष्टिगत रखते हुये अपनी संस्था हेतु आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र वर्ष 2004 में प्राप्त किया है। तदनुसार एक समयबद्ध व प्लानिंग के साथ विविध योजनाओं का यिान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड के समस्त श्रेणी के अधिकारियों/ कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी छोड़कर) को उनके व्यक्तित्व विकास, कार्यक्षमता एवं सकारात्मक सोच के संबंध में विभागीय प्रशिक्षण शिविर मुख्यालय एवं वृत्त स्तरों पर आयोजित किये जा रहे हैं।

मंडल का कम्प्यूटराईजेशन

(अ) मण्डल की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सभी कार्यों को समयबद्ध व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रगतिपर है, तथा यह कार्य विख्यात कम्पनी ACCEL Frontline Ltd. Chennai जो कि CMM 5 Level की कम्पनी है, के द्वारा किया जा रहा है।

(ब) हाउसिंग बोर्ड की बेबसाईट जनसुविधा हेतु तैयार की गई है जिसका **domain www.mphousing.in** है, एवं इस पर एम.पी.हाउसिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध है।

(स) वर्तमान में मण्डल की वास्तुविद शााखा में ड्राईंग, नक्शे इत्यादि का कार्य AUTOCAD SOFTWARE द्वारा संपादित किया जाता है एवं भवन के स्ट्रक्चरल डिजाईन के लिए STUD PRO SOFTWARE का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्य के लिये तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

(द) मंडल के अिकारियों व कर्मचारियों को अत्याधुनिक तकनीक व समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षणों के सेमीनार आयोजित होने पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हाई वाल्यूम फ्लाई ऐश कान्क्रीट टेक्नोलाजी (सी.आई.आई)/डिजाईन एन्ड कन्सट्रक्शन आफ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिंग एन्ड स्ट्रक्चर/डेवलपमेन्ट प्रोग्राम आन मैनेजिंग कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी एन्ड सेफ्टी/वर्ल्ड सिटिज सर्विस इन्ड्रस्ट्रीज कन्वेशन 2005 चाइना/आदि विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण मंडल के 203 अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जा चुका है।

मण्डल की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु प्रभावी कदम

1. मण्डल के सभी प्रभागों का कम्पयूटराईजेशन
2. योजनाओं की मंजूरी हेतु समय–सीमा का निर्धारण
3. क्वालिटी कन्ट्रोल सेल द्वारा सभी परियोजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण एवं निर्माण क्वालिटी पर अधिक बल
4. कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु समय–समय पर ट्रेनिंग व प्रशिक्षण कार्यक्रम
5. मण्डल से संबधित सभी शिकायतों के युक्तियुक्त, त्वरित एवं समयसीमा में समाधान हेतु शिकायत निवारण सैल (CUSTOMER GREVANCE REDRESSAL CELL) का गठन व उपायुक्त द्वारा मानीटरिंग

कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

उपभोक्ताओं की सुविधा तथा उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने के उद्‌देश्य से मण्डल मुख्यालय स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का प्रारम्भ जनवरी 2003 में किया गया। इस प्रकोष्ठ में प्रदेश के हितग्राहियों द्वारा भवनों के निर्माण, प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन संबंधी शिकायतेां को प्राप्त किया जाकर समयावधि में निराकरण किया जाता है। गंभीर प्रकरणों के संबंध में समस्या का अध्ययन स्थल निरीक्षण तथा संबंधित मैदानी अधिकारियों के समक्ष उपायुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा अध्ययन किया जाता है, तथा उसे भी दोनों की सहमति से निराकृत किया जाता है जिससे कि सक्षम रूप से उपरोक्त उद्‌ेश्य की पूर्ति हो सके।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ

मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ निष्पादन की सुनिश्चितता हो, इस उद्धेश्य से एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी बरिष्ठ उपायुक्त स्तर के अधिकारी हैं। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा मंडल के जो विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, उनका समय – समय पर आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के अंतर्गत प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय रूप से व उनकी वाषिक बृद्धियॉ आदि रोकी जाकर समुचित कार्यवाही की जाती है। इस प्रक्रिया में विगत तीन वर्षों में 30 अधिकारियों को वित्तीय दण्ड व 6 अधिकारियों की वेतन बृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया है।

मण्डल की मुख्य निर्माणाधीन परियोजनाओं का क्षेत्रवार विस्तृत विवरण

क्र.	योजना का नाम	लागत (रू.लाख)	व्यय (रू.लाख)	वर्तमान स्थिति
	भोपाल – वृत्त क्षेत्र			
1.	83–डुपलेक्स, 51–ट्रिपलेक्स, एवं 13.71 एकड़ भूमि का विकास कार्य रिवेयरा टाऊन पोल्ट्री फार्म कोटरा भोपाल। (फेस – 1)	2400.85.00	474.83	इस योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2.	आवासीय व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण कार्य जी.टी.बी काम्पलेक्स भोपाल।	397.00	154.00	द्वितीय तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	एम.ए.एन.आईटी. चौराहे के पास 84–डुपलेक्स, 36–ट्रिपलेक्स, एवं 10.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल । (फेस – 2, एम.पी. एम.एल.ए.)	2209.00	10.00	निविदा स्वीकृत हो चुकी है।
4.	पशु चिकित्सा एवं पंचायत और समाज सेवा विभाग की तुलसी नगर भोपाल की 1.86 एकड़ भूमि पर प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण	2000.00	2.00	प्रस्तावित है।
5.	बोर्ड आफिस के सामने सारनाथ काम्पलेक्स भोपाल	206.00	149.00	बोर्ड आफिस के सामने एक भव्य व्यवसायिक परिसर का निर्माण दुकानों के व्यवस्थापन हेतु व कार्यालयीन हॉल का निर्माण है।
6.	विकास कार्य अयोध्या उपनगर भोपाल फेस–4	125.00	5.00	अयोध्या नगर में 18.00 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है।
7.	89–सीनियर एम.आई.जी., 93– जूनियर एम.आई.जी.''ए'', तथा 48– जूनियर एम. आई.जी., ''बी'' टाईप भवनों का निर्माण कार्य अयोध्या नगर एक्सटेंसन भोपाल	993.00	120.00	प्लिंथ स्तर पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
8.	32 एच.आई.जी. सुपर डीलक्स, 32 एच. आई.जी. जूनियर भवनों का निर्माण कार्य अयोध्या नगर एक्सटेंसन भोपाल	595.00	1.00	निविदा आमंत्रित की जा रही है।
9.	अयोध्या उपनगर भोपाल के ''ए'' सेक्टर में सेटेलाईट प्लाजा व्यवसायिक परिसर का निर्माण	463.00	144.00	भोपाल स्थित अयोध्या उपनगर में भव्य व्यवसायिक परिसरका निर्माण सुपर स्ट्रकचर स्तर पर है।
10.	अरेरा हिल्स भोपाल स्थित 5.10 एकड़	2108.50	5.00	शासन से अरेरा

	भूमि पर आवासीय परिसर का निर्माण			हिल्स पर 5.10 एकड़ भूमि आरक्षित होकर आवासीय योजना के क्रियान्वयन की प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है।
11.	अयोध्या नगर भोपाल में एल. सेक्टर के 16/68 कनिष्ठ उच्च आय वर्ग भवनों का निर्माण	284.74	83.61	छत स्तर का कार्य प्रगति पर है।
12.	अयोध्या नगर भोपाल में के. सेक्टर में 10/50 उच्च आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य	169.96	21.60	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
13.	बाग सेवनिया भोपाल में एमराल्ड आवासीय योजना का निर्माण कार्य	5050.00	5.00	योजना शीघ्र प्रारम्भ हो रही है।
14.	इप्टीग्रेटेड हाऊसिंग स्लम डेप्लपमेंट प्रोग्राम (आई.एच.एस.डी. पी.) भोपाल के अन्तर्गत भोपाल में 5000 ई.डब्ल्यू.एस. फलेटस का निर्माण।	4900.00	5.00	योजना शीघ्र प्रारम्भ हो रही है।
	भोपाल वृत्त क्षेत्र का योग	**21902.85**	**1180.04**	
	इन्दौर वृत्त क्षेत्र			
1.	राऊ इन्दौर में आवासीय योजना	740.00	210.00	विभिन्न श्रेणी के 142 भवनों का निर्माण विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।
2.	पुरानी सेन्ट्रल जेल इन्दौर का निर्माण 7.5 एकड़ भूमि फारच्यून सिटी इन्दौर	1005.00	55.00	पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत जेल में उपलब्ध 7.5 एकड़ भूमि के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 105 भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
3.	सांवेर रोड पर सेन्ट्रल जेल का निर्माण	3354.00	300.00	पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत सेन्ट्रल जेल हेतु योजना प्रगति पर है व

				कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण पूर्ण किया गया है।
4.	सुखदेव विहार झाबुआ में 5 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना	338.70	110.00	योजना प्रगति पर है।
5.	आयुष्मान विहार एम ओ जी लाइन्स इन्दौर स्थिति प्रस्तावित 14/32 एच. आय. जी. डूपलेक्स भवनों का निर्माण।	227.00	1.00	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
6.	विजिटिंग फेकल्टी हॉस्टल एवं डी.जी. बंगले का निर्माण कार्य।	78.90	49.88	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
7.	17.22 एकड़ भूमि विकास कार्य आकाशवाणी के पीछे राऊ इन्दौर	601.00	2.00	निविदा आमंत्रित की गयी है।
8.	10 जुनियर एच. आय. जी, 10 सीनीयर एम. आय. जी, 20 जू. एम. आय. जी, 30 एल. आय. जी. भवनों का निर्माण बगदून इन्दौर।	210.00	2.00	कार्य प्रारंभ करने की मुख्यालय द्वारा स्वीकृति दी जाना है।
9.	वाय पास रोड पर 23.35 एकड़ भूमि का विकास कार्य बिजलपुर राऊ इन्दौर	816.50	2.00	पंजीयन कार्य प्रगति पर
10.	नागचुन रोड खण्डवा पर 13.05 एकड़ भूमि का विकास एवं 36 जुनियर एच आय जी भवनों का निर्माण	310.60	60.00	विकास कार्य पूर्णता पर
11.	नागचुन रोड खण्डवा में 14 जुनियर एच आय जी एवं 27 सिनीयर एम आय जी भवनों का निर्माण	201.80	5.00	कार्य प्रगति पर है।
12.	10.09 एकड़ भूमि विकास कार्य वत्सला विहार खण्डवा	186.00	50.00	कार्य प्रगति पर है।
13.	वत्सला विहार खण्डवा में 17 एच आय जी डिलक्स एवं 39 एच आय जी जू. एवं 20 एच आय जी सी. भवनों का निर्माण की योजना	585.50	13.40	कार्य प्रगति पर है।
14.	वत्सला विहार खण्डवा में 33 एल आय जी भवनों का निर्माण की योजना	62.70	23.40	कार्य प्रगति पर है।
15.	बड़वाह जिला खरगोन में 7.0 एकड़ भूमि विकास कार्य	120.90	80.00	कार्य प्रगति पर है।
16.	बड़वाह जिला खरगोन में विभिन्न प्रकार के 93 भवनों का निर्माण कार्य	358.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
17.	116 भवनों का निर्माण बड़वानी	414.50	5.00	कार्य प्रगति पर है।
18.	10 एच. आय. जी, 50 एम. आय. जी, भवनों का निर्माण बुरहानपुर ।	249.00	5.00	कार्य प्रगति पर है।
	इन्दौर वृत्त क्षेत्र का योग	**9896.10**	**978.68**	
	ग्वालियर वृत्त क्षेत्र			

1.	102 एम.आई.जी. डुप्लेक्स भवन, सेक्टर ''एफ'' दीनदयाल नगर ग्वालियर	393.50	320.00	योजना लगभग पूर्णता पर है।
2.	42 – जूनियर एच आय जी, ''एफ'' सेक्टर दीन दयाल नगर ग्वालियर	242.00	65.00	विकास कार्य पूर्णता पर, प्लिंथ का कार्य प्रगति पर है।
3.	निर्माण कार्य राजीव प्लाजा, जयेन्द्र गंज ग्वालियर	618.50	353.00	इस योजना का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण व आगे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4.	24 – एच आय जी, ''एफ'' सेक्टर दीन दयाल नगर ग्वालियर	141.60	10.00	कार्य प्रगति पर है।
5.	सेक्टर ''एफ'' दीन दयाल नगर ग्वालियर में 6.65 एकड़ भूमि पर भूखण्ड विकास कार्य एवं 116 एच आय जी. भवनों का निर्माण कार्य।	1325.00	10.00	कार्य प्रगति पर है।
6.	दर्पण इन्क्लेव ग्वालियर में 48 फलेट्स का निर्माण।	500.00	10.00	इस आवासीय परिसर का निर्माण लगभग पूर्णता पर है।
7.	25/50 एम.आय.जी. सीनियर भवन मयूरवन कालोनी मुरैना	62.11	45.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
8.	15 एम आय जी डीएक्स, 11 एम आय जी सीनीयर, 124 एल आय जी सी. भवन निर्माण योजना मयूरवन कालोनी मुरैना	381.40	55.00	विकास कार्य व प्लिंथ का कार्य प्रगति पर है।
	ग्वालियर वृत्त क्षेत्र का योग	**3664.12**	**868.00**	
	उज्जैन वृत्त क्षेत्र			
1.	कालापीपल में 5.0 हे. भूमि पर डबल्यू बी एम रोड, कलवर्ट व ड्रेन्स का कार्य	132.50	6.55	योजना का निर्माण प्रगति पर है।
2.	लालपुर हेमुखेड़ी देवास रोड उज्जैन मे 4.764 हे. भूमि का विकास कार्य।	236.00	55.77	योजना का निर्माण प्रगति पर है।
3.	10 एम. आय. जी. सीनियर, 24 एम. आय. जी. जू. 86 ई. डबल्यू. एस. भवन निर्माण तथा 0.861 हे. भूमि विकास कार्य रत्नपुरी रतलाम	146.00	108.10	योजना का निर्माण प्रगति पर है।
4.	नीमच में 128 जनता भवनों का निर्माण व विकास कार्य	118.00	109.50	निर्माण तथा विकास कार्य पूर्ण।
5	इन्दिरा नगर नीमच में 21 एच आय जी	483.00	124.00	योजना का

.	जू, 62 एम आय जी जू, 36 एल आय जी जू एवं 58 जनता भवनों का निर्माण तथा 2.813 हे भूमि का विकास कार्य			निर्माण प्रगति पर है।
6.	10 एम आय जी, 42 एम आय जी I, 70 एम आय जी II, 41 एम आय जी III, 56 एल आय जी भवन तथा 13.509हे. भूमि विकास कार्य भून्याखेड़ी मन्दसौर	315.00	11.00	कार्य प्रगति पर है।
	उज्जैन वृत्त क्षेत्र का योग	**1430.50**	**414.92**	
	जबलपुर वृत्त क्षेत्र			
1.	'सत्यमेव जयते' परिसर का निर्माण	900.00	60.00	पुनर्घनत्वीकरण योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	धनवंतरी नगर, जबलपुर में 218 विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण	765.00	540.00	इस योजना का निर्माण लगभग पूर्ण है।
3.	पुरवा जबलपुर में 108 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण	101.00	97.00	इस योजना का निर्माण पूर्ण है।
4.	मानसरोवर कालोनी कटनी में विभिन्न प्रकार के कुल 119 भवनों का निर्माण	222.00	55.00	योजना का निर्माण पूर्णता पर है।
5.	62 जूनियर एच आय जी, 6 सी. एच आय जी, 64 एम आय जी I, 48 एम आय जी II, 6 एम आय जी III बी एवं 20 एम आय जी धनवंतरी नगर जबलपुर	67.43	50.00	इस योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्णता पर है।
6.	6.38 हेक्टर भूमि का विकास कार्य ट्रांसपोर्ट नगर महाराजपुर जबलपुर	387.00	43.00	कार्य छत स्तर पर
7.	65 एम आय जी ए व 60 एम आय जी बी भवनों का निर्माण कार्य पडरवाड़ा कटनी	461.50	20.00	कार्य प्रगति पर
8.	7 एम आय जी ए सीनीयर, 11 एम आय जी सीनीयर बी, 6/20 एल आय जी सीनीयर व 2/15 एल आय जी जूनियर देवधरा मण्डला	134.50	40.00	कार्य प्रगति पर
9.	जी ए डी क्वार्टर्स डिण्डोरी	113.40	40.00	कार्य प्रगति पर
10.	19 एच आय जी, 12 एम आय जी सी. एवं 10 एल आय जी चंदनगांव छिंदवाड़ा	124.00	52.00	कार्य प्रगति पर
11.	16 ई डबल्यू एस भवन समता नगर कालोनी सिवनी	75.00	20.00	कार्य प्रगति पर
	जबलपुर वृत्त क्षेत्र का योग	**3351.13**	**1017.00**	
	रीवा वृत्त क्षेत्र			
1	कुषि महाविद्यालय के पास पडरा रीवो में	1557.00	70.00	कार्य प्रगति पर

.	18.101 हे. भूमि के विकास एवं 56 एच आय जी सी., 131 एच आय जी जू., 46 एल आय जी सी., एवं 43 एल आय जी जू. का निर्माण कार्य			
2 .	दीन दयाल धाम कालोनी पडरा रीवां में व्यवसायिक सह आवासीय काम्पलेक्स का निर्माण	221.50	22.57	कार्य प्रगति पर

3.	कोलगवां सतना में 11 एच आय जी, 42 एम आय जी । व 51 एम आय जी ।। भवन निर्माण तथा 5.87 एकड़ भूमि विकास के तहत विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों का विकास	229.00	10.00	माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है।
4.	नामतारा नागौद जिला सतना में 22 एम आय जी डीलक्स, 23 एम आय जी जू., 49 एल आय जी सी. एवं 38 इ डबल्यू एस भवनों का निर्माण	287.00	28.00	कार्य प्रगति पर
5.	पचखोरा बैढन सीधी मे 10 एल आय जी जू. 20 एल आय जी डीलक्स, 25 एल आय जी सी. भवनों का निर्माण कार्य	192.00	18.49	कार्य प्रगति पर
6.	पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत टीकमगढ़ में व्यवसायिक सह आवासीय योजना	171.00	10.00	पुनर्घनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत 49 दुकानों व 20 प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
7.	अजयगढ़ चौराहा पन्ना में व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य	60.00	20.00	कार्य प्रगति पर
	रीवा वृत्त क्षेत्र का योग	**2717.50**	**209.06**	
	कुल योग	**24926.20**	**4667.70**	

मुख्य निक्षेप कार्य

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय भूखण्ड एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त विभिन्न शासकीय विभागों एवं अर्ध शासकीय उपक्रमों के लिए निक्षेप कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	लागत (रू.लाख)	व्यय (रू.लाख)	वर्तमान स्थिति
	भोपाल – वृत्त क्षेत्र			
1.	सम्राट अशोक पोलीटेक्निक महाविद्यालय विदिशा में 50 शैया छात्रावास भवन का निर्माण	86.14	2.00	खुदाई का कार्य प्रगति पर है।
2.	एक्सीलेंसी गर्ल्स कालेज भोपाल के होस्टल के प्रथम तल का कार्य	66.00	2.00	शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।
3.	एक्सीलेंसी गर्ल्स कालेज भोपाल में 10 + 2 क्लास रूम का निर्माण कार्य	134.00	1.00	शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

4.	हमीदिया हास्पिटल भोपाल का विस्तार	850.00	1.00	हमीदिया अस्पताल के विस्तार के अन्तर्गत विभिन्न वार्डो एवं व्यवसायिक परिसर के निर्माण की प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है।
5.	आवास राहत गृह निर्माण सहकारी समिति की चार इमली भोपाल स्थित 13.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य।	362.00	0.50	निविदा आमंत्रित की गई है।
6.	मेडीकल कॉलेज सागर का निर्माण कार्य	11050.00	2.00	योजना शीघ्र प्रारम्भ हो रही है।
7.	तिली सागर में 50 शैय्या छात्रावास का निर्माण कार्य	45.00	0.50	योजना शीघ्र प्रारम्भ हो रही है।
8.	पशुपालन विभाग हेतु हथाईखेड़ा, भोपाल पोल्ट्रीफार्म का निर्माण एवं विकाय कार्य।	422.00	342.78	कार्य पूर्णता पर, फिनीसिंग का कार्य प्रगति पर है।
9.	कटारा हिल्स भोपाल में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय का निर्माण।	394.00	294.77	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए मॉडल स्कूल परिसर का निर्माण कटारा हिल्स में प्रगति पर है।
10.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल के क्लास रूम एवं विकास कार्य भोपाल	375.38	1.00	कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है।
11.	गर्ल्स स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण कार्य बैतूल	400.00	1.00	कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है।
	भोपाल वृत्त क्षेत्र का योग	**14184.52**	**648.55**	
	इन्दौर वृत्त क्षेत्र			
1.	विजिटिंग फेकल्टी हॉस्टल एवं डी.जी. बंगले का निर्माण कार्य।	78.90	49.88	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण

2.	वाय्स स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण कार्य खलवा जिला – खण्डवा	400.00	1.00	निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है।
	इन्दौर वृत्त क्षेत्र का योग	**478.90**	**50.88**	
	ग्वालियर वृत्त क्षेत्र			
1.	50 – शैया महिला छात्रावास पॉलीटेक्निक अशोकनगर	80.00	23.00	भूतल की छत का कार्य प्रगति पर है।
2.	50 – शैया बालक छात्रावास एवं स्टॉफ भवन राघौगढ़	499.73	2.00	निविदा स्वीकृत हाक चुकी है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो रहा है।
3.	59 – जी. ए. डी. क्वार्टर अशोकनगर	316.00	2.00	निविदा आमंत्रण हो चुकी है।
4.	महिला पॉलीटेनिक छात्रावास भिण्ड	748.00	18.50	कार्य लिंटल लेवल पर प्रगति पर है।
5.	पी. जी. कॉलेज मुरैना का भवन निर्माण एवं विकास कार्य	143.00	25.00	प्रथम यूनिट का कार्य प्रगति पर है। द्वितीय युनिट की निविदा आमंत्रित करना है।
6.	केन्द्रीय विद्यालय नई दिल्ली के कार्य	1227.00	287.00	कार्य प्रगति पर
7.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल भवन का निर्माण एवं विकास कार्य मुंगावली जिला – गुना	300.00	1.00	कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है।
	ग्वालियर वृत्त क्षेत्र का योग	**1527.00**	**288.00**	
	जबलपुर वृत्त क्षेत्र			
1.	जी ए डी क्वार्टर्स डिण्डोरी	113.40	40.00	कार्य प्रगति पर
2.	जबलपुर में तहसील कार्यालय भवन के पुनर्धनत्वीकरण की योजना सत्यमेव जयते परिसर	870.00	50.00	इस योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	जबलपुर वृत्त क्षेत्र का योग	**983.40**	**90.00**	
	उज्जैन क्षेत्र			
1.	जिला पशु चिकित्सा कार्यालय एवं चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य, पशु चिकित्सालय परिसर देवास गेट उज्जैन	12.00	1.00	इस योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	जिला पशु चिकित्सालय नीमच में निर्माण कार्य	12.00	1.00	इस योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	उज्जैन वृत्त क्षेत्र का योग	**24.00**	**2.00**	

	रीवा क्षेत्र			
1.	महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के लिये प्रशासनिक भवन, गर्ल्स होस्टल इत्यादि भवनों का निर्माण कार्य।	302.00	205.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2	100 यात्रियों हेतु विश्राम गृह का कार्य चित्रकूट	297.00	24.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	11 वें वित्त आयोग के तहत गुप्त गोदावरी का विकास कार्य	80.00	63.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4.	1000 यात्रियों हेतु विराम गृह का कार्य मैहर	297.00	50.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5.	स्पोर्टस काम्पलेक्स (स्टेडियम) का निर्माण कार्य सतना	297.00	70.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
6.	कलेक्ट्रेट भवन पन्ना का निर्माण कार्य	497.00	50.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7.	50 – शैया बालक छात्रावास भवन पन्ना	50.00	10.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
8.	राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 21 प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य सतना	63.00	40.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
9.	50 – शैया बालक छात्रावास भवन सतना	50.00	5.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
10.	100 – शैया बालक छात्रावास भवन रीवा	78.69	30.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11.	50 – शैया बालक छात्रावास भवन रीवा (पिछड़ा वर्ग)	145.00	15.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
12.	50 – शैया बालक छात्रावास भवन सीधी (पिछड़ा वर्ग)	145.00	15.00	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	रीवा वृत्त क्षेत्र का योग	**2301.69**	**577.00**	
	प्रदेश के कार्यों पर कुल व्यय	**20410.86**	**1724.93**	
	प्रदेश से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य			
1.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल एवं स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य Khanapara	477.48	155.60	कार्य प्रगति पर है।
2.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल का निर्माण एवं विकास कार्य सी.आर.पी.एफ. - Amerigog	380.38	279.67	कार्य प्रगति पर है।
3.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल के 12 क्लास रूम कटक	85.19	60.00	कार्य प्रगति पर है।
4.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल के 13 स्टाफ क्वार्टर एयर फोर्स ऑमला	75.89	50.00	कार्य प्रगति पर है।
5.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल के 12 क्लास रूम एवं कम्प्यूटर रूम का निर्माण कार्य सी.आर.पी.एफ. - Amerigog	82.23	50.00	कार्य प्रगति पर है।
6.	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल का अतिरिक्त कार्य Bandamunda Urisha	168.00	1.00	कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है।

		कुल योग	1269.17	596.27	

मण्डल की आगामी वर्षों में आने वाली प्रमुख योजनाएं

⇒ समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों हेतु शासन की नीति अनुरूप पूरे प्रदेश में 5000 ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण, जिससे प्रदेश की सर्वहारा जनता को सुदृढ़ आवास उपलब्ध हों।

⇒ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। गृह निर्माण मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

⇒ विकसित एवं विकासशील शहरों में विभिन्न प्रकार की पुनर्निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन, ताकि प्रदेश की छबि एक विकसित प्रदेश के रूप में हो, जिससे पूरे देश के व्यवसायी/विकासकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होकर प्रदेश में निवेश करें।

⇒ देश के विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक विपदा की स्थिति में तत्परता से सुनामी पीड़ितों हेतु 340 भवनों का निर्माण नागापट्टनम (तमिलनाडु) में आवासीय योजना रू. 8.60 करोड़ की लागत से उक्त कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

⇒ पूरे प्रदेश में कम मूल्य की निर्माण सामग्री का समुचित प्रचार एवं प्रसार हो, इस हेतु मुख्य निर्माण एजेन्सी के रूप में इन तकनीकी का क्रियान्वयन तथा निर्मिति केन्द्रों के माध्यम से प्रचार।

⇒ मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

⇒ यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

पहल 06 – 07

- Public Private Partnership (PPP) का नीति निर्धारण व क्रियान्वयन प्रारंभ
- PPP से प्राप्त राशि से निम्न आय वर्ग के आवासहीनों हेतु आवास निर्माण
- मंडल कालोनियों का नगर निगम को हस्तांतरण – रू 6.00 करोड़ प्रदाय किये गए
- गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन
- दरों का युक्तियुक्तकरण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय
- हुडको से प्राप्त ऋण का कम दर पर पुनर्निर्धारण – 5 वर्षो में रू. 6.00 करोड़ की बचत
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय
- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness विशेषज्ञ परीक्षण अनिवार्य
- विशिष्ट नगर सौंदर्यीकरण योजना – चित्रकूट से प्रारम्भ
- वैम्बे परियोजना अंतर्गत 803 मकान पूर्ण

- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर प्लाट विक्रय
- जन सामान्य की सुविधा हेतु होम शॉप की स्थापना
- निर्माण श्रमिको की कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण
- CIDC से मण्डल अधिकारियों को QUALITY CONTROL पर प्रशिक्षण
- ISO गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त
- मार्केटिंग सैल की स्थापना

एम.पी.हाउसिंग बोर्ड की व्यावसायिक एवं आवासीय संपत्ति की गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप कई प्रार्यवेट कम्पनियों ने मण्डल की विभन्न परियोजनाओं में अपनी रूची प्रर्दशित की है एवं संपत्ति क्रय कर अपने कार्यालयों की स्थापना की है व आवासीय भवन क्रय किये हैं इनमें कुछ प्रमुख है :–

- नेटलिंक साफटवेयर्स लिमिटेड
- एस.आर.हच स्पेसटेल प्रा0 लिमिटेड (HUTCH)
- भारती टेलीवेंचर्स प्रा0 लिमिटेड (AIRTEL)
- रिलायंस कमन्यूकेशन (RELIANCE)
- बैंक आफ बडोदा
- ओरियंटल बैक आफ कार्मस
- आयकर विभाग
- मध्यप्रदेश वित्त नियामक आयोग
- भारतीय पुरातत्व विभाग
- स्वास्थ विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं कई अन्य

शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेंसी

मण्डल द्वारा अपनी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के अलावा मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभागों के लिए डिपाजिट वर्क एवं कन्सलटिंग ऐजेसी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है जिनमें प्रमुख योजनाऐं निम्नलिखित हैं –

- सागर मेडीकल कॉलेज एवं अस्पताल परियोजना
- मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु सागर शहर में मेडीकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु परियोजना
- प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) हेतु केरला में बिनाची एस्टेट हेतु कन्सलटेंसी
- सतना शहर के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सतना विजन 2030
- पर्यटक तीर्थ स्थल चित्रकूट का कायाकल्प

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संघ द्वारा अमल किया जा रहा है। प्राधिकरण संघ में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। प्राधिकरण संघ में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संघ में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती स्मिता निगम सहायक वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मुख्यालय में कुल 112 महिला कर्मी है।

प्रदेश के बड़े शहरों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए आवासीय समस्या के निराकरण हेतु संभागीय स्तर पर ''सेटेलाइट टाउन'' निर्मित किये जाने की योजना पर भी राज्य शासन द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है जिनका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी भूमि का उपयोग आवास समस्या हल करने के लिए उपयोग में लाने बावत् राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रिडिन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है। इस प्रकार जो योजना तैयार की जा रही है उसमें प्रथमतः भोपाल में एक सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अवधारणा पर परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, बायोटेक्नॉलाजी/आई.टी. पार्क आदि के समायोजन के साथ व्यवसायिक तथा आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं कमजोर आय वर्ग के लोगों को उचित दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से व प्रदेश की आवास समस्या के समाधान हेतु मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की स्थापना की गई है।

संरक्षात्मक उपाय

1– म. प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिये मण्डल की अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्षो के लिये आरक्षण रखकर लाभ पहुँचाने का कदम उठाया है। आरक्षित वर्ग के लिये पूर्ण लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये संपत्ति अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2– आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों की भू–हस्तांतरण पर रोक होना चाहिये, जिससे अनुदान प्राप्त भवन/भूखण्ड का हस्तांतरण नहीं हो सके तथा यदि होता है तो अनुदान राशि सहित बाजार मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत हस्तांतरण में जमा कराना चाहिये।

3– अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को भूखण्ड आवंटन करने के पश्चात् हितग्राहियों द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा रहा है, तथा आधिपत्य भी प्राप्त नहीं किया जा रहा है, इसके साथ ही किसी ने आधिपत्य लिया भी है तो भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण होने पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके लिये शासन स्तर से कार्यवाही की जाना चाहिये।

4– विगत वर्षो की तुलना में बढ़ती मंहगाई से विकास कार्यों की गति में कमी आई है। अतः शासन से आग्रह है कि वित्तीय बजट में प्रावधान करते हुए शासन स्तर से शासकीय भूमि व अनुदान राशि मण्डल को उपलब्ध करावें, जिससे अधिक लाभ दिया जा सके।

कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

म.प्र.गृह निर्माण मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी 2003 को हुई। इसकी स्थापना के पीछे मंडल का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना था। इस सेल मे उपायुक्त स्तर के अधिकारी को पदस्थ किया गया जिससे कि सक्षम रूप से उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

इस सेल मे स्थापना से लेकर आज तक 1343 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से,म.प्र.शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त की गई उनमें से 1030 इन शिकायतों का निराकरण आज तक किया गया।

विश्व जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार यह विदित होता है कि भारत की कुल जनसंख्या अगली शताब्दी में लगभग दो गुनी हो जाने की संभावना है। यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि अगली शताब्दी के तीसरे दशक में भारत विश्व की अत्यधिक घनी आवादी वाले देशों में से एक होगा। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए भारत के लिए अगले तीन दशक विकास एवं योजना निर्माण हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण होगें जिससे कि मानव बस्तियों के निर्माण एवं इस हेतु आवश्यक अधोसंरचना की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

नगरीय विकास का कार्य वर्तमान में अत्यधिक गतिशील कार्यों में से एक है। देश में शहरी जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि के दौर से गुजर रही है तथा इसके दृष्टिगत नगरीय योजना का कार्य अत्यधिक धीमि गति से चल रहा है। तुलनात्मक रूप से म.प्र. देश का एक कम विकसित प्रदेश है। प्रदेश के विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं गति प्रदान करने हेतु म.प्र.शासन द्वारा स्वयं एवं भारत शासन के सहयोग से विभिन्न आवासीय एवं अधोसंरचना विकास की योजनाओं को प्रारंभ किया है जिससे कि समाज के सभी वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जे.एन.यू.आर.एम. तथा आई.एच.एस.डी.पी. योजनाएं इस दिशा में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं।

चुनावी घोषणा पत्र

1– भवन निर्माण हेतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुये नई आवास नीति बनाई जावेगी एवं नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
भारत सरकार की आवास नीति के आधार पर प्रस्तावित आवास नीति का तुल्नात्मक पत्रक तैयार कर लिया गया है।

2– शहरी क्षेत्रों में मास्टर प्लानों का पुनरावलोकन किया जावेगा तथा निर्धारित समय सीमा में नियोजित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में लगभग 42 नगरों के मास्टर प्लानों का पुनरावलोकन किया गया है, यथा शीघ्र प्रभवशील किया जावेगा।

3– गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरण अथवा गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में भू–स्वामी को भूखण्ड अथवा भूखण्ड/भवन विक्रय नीति एवं दरें एक जैसी बनाई जाय।
प्रारूप तैयार कर रालस्व विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

4– नगरीय निकायों एवं शहरी विकास प्राधिकरणों तथा इस प्रकरण के समान उद्धेश्यों वाली संस्थाओं को एकीकृत किया जाएगा।
इस सम्बंध में प्रारूप तैयार कर राजस्व/ सहकारिता/ वाणिज्यकर विभाग से अभिमत प्राप्त होना शेष है।

महत्वपूर्ण विचाारणीय मुद्दे

- शासकीय भूमि की प्रीमियम का भुगतान शासन को एकमुश्त नहीं करते हुए उसे किश्तों में देने की सुविधा
- मण्डल की विभिन्न योजनाओं हेतु अभिन्यास का अनुमोदन मण्डल में प्रतिनियुक्त पर पदस्थ सयुंत संचालक द्वारा किये जाने हेतु धारा 28 व 29 के अंतर्गत संशोधन
- मण्डल द्वारा निर्मित संपत्ति के विक्रय होने पर उसकी स्टेंप ड्यूटी मण्डल द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य अनुसार होना चाहिये, न कि उसकी गणना कलेक्टर गाईडलाईन पर आधारित हो
- शासकीय भूमि को लीज के प्रावधानों के स्थान पर फ्री होल्ड कर उपलब्ध कराना

मण्डल की एक वर्षीय कार्यकाल की विशेष उपलब्धियॉं

1) मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की विभिन्न कालोनियों में प्रदेश को हरा–भरा रखने के लिये बृक्षारोपाण का बृहद लक्ष्य निर्धारित कर मंडल द्वारा विकसित कालोनियों में उनके निर्देशानंसार 30000 बृक्ष लगाये गये।
2) मध्य प्रदेश की जनता के लिये सागर में अस्पताल एवं मेडीकल कालेज की स्थापना व निर्माण।
3) वाग सेवनिया भोपाल में एमराल्ड पार्क की आवासीय योजना का निर्माण।
4) मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेडीकल कालेज की स्थापना।
5) राजधानी भोपाल के ई/5 अरेरा कालोनी स्थित विट्ठल मार्केट में छोटे – छोटे दुकानदारीं के लिये हाट बाजार की स्थापना।
6) मंडल के कर्मचारियों के लिये शासन के समान मंहगाई भत्ता
7) आवासीय विद्यालय का भोपाल एवं सागर में निर्माण तथा सागर के विद्यालय का लोकार्पण।
8) पिछड़ा वर्ग के लिये 100 शैया छात्रावास के निर्माण की घोषणा।
9) भिण्ड में महिला पॉलीटेक्निक परिसर में 50 शैया महिला हॉस्टल का भूमि पूजन।
10) टमसार जिला सीधी में एकलव्य विद्यालय में आवासीय परिसर का निर्माण।
11) अरेरा हिल्स पर ग्रीन मेडोज 5.10 एकड़ भूमि पर आवासीय परिसर का निर्माण।
12) इन्टीग्रेड हाउसिंग स्लम डेप्लपमेंट प्रोगाम के अन्तर्गत 5000 फ्लेटस भवनों का निर्माण।
13) इंदौर में फारच्यून सिटी के अन्तर्गत पुरानी सेन्ट्रल जेल की जमीन पर आवासीय योजना।
14) इंदौर शहर में नई सेन्ट्रल जेल भवन का निर्माण।
15) जबलपुर में सत्यमेव जयते परिसर की आवासीय योजना।
16) हमीदिया अस्पताल भोपाल का विस्तार।

मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ

भाग – एक

विभागीय संरचना

मान्नीय मंत्री जी, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग संघ के पदेन अध्यक्ष है। प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग संघ के पदेन उपाध्यक्ष तथा संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश संघ के पदेन कार्यपालन संचालक है।

अधीनस्थ कार्यालय निरंक

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण

प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –06 विकास प्राधिकरण–भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, 02–विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट तथा 214–स्थानीय संस्थाऐं–नगर निगम, नगर पालिकाऐं व नगर पंचायतें संघ की सदस्य संस्थाऐं है। इस प्रकार वर्तमान में 222 संस्थाऐं संघ की सदस्य संस्थाऐं है।

विभागीय दायित्व

1. नगरीय विकास संस्थाओं की योजनाओं के नियोजन एवं वास्तुविदीय कार्य।
2. आई.डी.एस.एम.टी. व अन्य स्ववित्तीय योजनाओं का सर्वेक्षण, तकनीकी परीक्षण, व विस्तृत वास्तुविदीय कार्य।
3. विकास संस्थाओं को तकनीकी, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन।
4. राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्यो का संपादन।

विभाग से संबंधित जानकारी

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है। संघ का पंजीयन 1980 में म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया है। प्राधिकरणसंघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में

कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण संघ द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है।

(ब) भारत शासन द्वारा आईडीएसएमटी योजना के स्थान पर नवीन योजना यूआईडीएसएसएमटी योजना लागू की गई है। राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को इस नवीन योजना हेतु भी प्रदेश की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी बनाया गया है जिसके तहत प्राधिकरण संघ द्वारा यूआईडीएसएसएमटी योजनाओं का मूल्यांकन/परीक्षण तथा नई योजनाऐं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

भाग–दो

बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत

संघ की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त शुल्क ही है। शासन से वर्तमान में संघ को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एव अंकेक्षण

वर्ष–2005–2006 के प्रस्तावित आय–व्यय क्रमशः रू. 150.791 लाख तथा रू. 138.63 लाख अनुमानित था। जिसके विरूद्ध वास्तविक आय व्यय क्रमशः रू. 37.30 लाख व 93.10 लाख रहा। वर्ष 2006–07 के आय व्यय क्रमशः रू. 158.04 लाख व रू. 157.72 लाख अनुमानित है।

प्राधिकरण संघ के वर्ष 2004–2005 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है।

संसदीय कार्य, विधि विषयक कार्य एवं न्यायलयीन कार्य निरंक

स्वीकृत सेटअप

प्राधिकरण संघ के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 79 पद स्वीकृत है। इनमे से 24 कर्मचारी तकनीकी संवर्ग तथा 55 गैर तकनीकी संवर्ग के है सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में है।

भाग – तीन

(अ, ब) राज्य योजनाऐं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। प्राधिकरण संघ द्वारा इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

1. छोटे तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आईडीएसएमटी) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाऐं जिनकी अनुमानित लागत रू. 14370.49 लाख है , स्वीकृत की जाकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या हैः– (1) चंबल संभाग–3 नगर, (2)ग्वालियर संभाग–6 नगर, (3) उज्जैन संभाग–16 नगर, (4) इंदौर संभाग–9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग– 2 नगर, (6) सागर संभाग–16 नगर, (7) रीवा संभाग– 18 नगर, (8) जबलपुर संभाग– 12 नगर,

वर्ष 1995–96 से वर्तमान वित्त वर्ष तक कुल मुक्त राशि रू. 6805.55 लाख (केन्द्राश रू.4083.58 लाख +राज्यांश 2721.97 लाख) है। वर्तमान वित्त वर्ष में उक्त नगरों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 1291.86 लाख का प्रावधान बजट में किया गया है जिसमें से रू. 578.31 लाख मुक्त किया जा चुका है शेष राशि शीघ्र मुक्त होने की आशा है।

योजनान्तर्गत प्रथम 8 वर्षो में उपयोगिता केवल 35 प्रतिशत थी जो गत 1.5 वर्ष में बढ़कर 48 प्रतिशत हो गई है। आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत कई नगरों में कियान्वयन की प्रगति बहुत अच्छी है जबकि कई नगरों में यह संतोषजनक तथा औसत है। कुछ नगरों में प्रगति काफी खराब है, इन नगरों के लिये सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2005–06 में आई.डी.एस.एम.टी योजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना में समाहित की गई है।

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा वर्ष 2006–07 में आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों के योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया, इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बस स्टैण्ड, आवासीय, उद्यान, कम्यूनिटी हॉल, स्टेडियम, आफिस काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट जैसे अन्य विकास कार्य शामिल है।

2. छोटे तथा मझौले नगरों की शहरी अधोसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) वर्ष 2005–06 में लागू की गई है, इस योजना में प्रदेश के 9 नगरों की रू. 8953.96 लाख के 20 घटक स्वीकृत किये जा चुके है,जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

   (अ) विदिशा, गढ़कोटा, दमोह, टीकमगढ़, मलाजखण्ड, इटारसी, बुधनी व जावरा नगरों के 10 जल प्रदाय घटक जिनकी लागत रू. 6677.84 लाख है।
   (ब) विदिशा, मलाजखण्ड, बुधनी , इटारसी, दमोह, जावरा व रेहटी नगरों के 07 सिवरेज/नाला निर्माण के घटक जिनकी लागत रू. 1639.81 लाख है।
   (स) विदिशा, गढ़ाकोटा, दमोह की 03 सडक उन्नयन घटक, जिनकी लागत रू. 636.31 लाख है।

उक्त योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश राशि रू. 3581.58 लाख तथा राज्यांश रू. 447.70 लाख सहित कुल राशि रू. 4029.28 लाख मुक्त किये जा चुके हैं। योजनाओं का कियान्वयन शीघ्र प्रारंभ हो सकेगा। दिनांक–12.12.06 को संपन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति में निम्न 09 नगरों कमशः छतरपुर, सनावद, मंदसौर, रेहली, सिरोंज, रीवा, शुजालपुर, ब्यावरा व पन्ना के 10 जलप्रदाय योजनाओ को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं की लागत रू.13013.29 लाख है।
प्राधिकरण संघ को लगभग 50 नगरों की योजनाऐं परीक्षण हेतु तथा 5 नगरों की योजनाऐं तैयार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये है

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं निरंक

(द) विदेश सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं निरंक

(ई) अन्य योजनाऐं

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा वर्ष 2006–07 में प्रदेश के नगरीय निकायों की आई.एच.एस.डी.पी. योजनाऐं तैयार करने का कार्य हाथ में लिया गया है, कई नगरों द्वारा योजना तैयार करने के प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त कई नगरीय निकायों की स्वय वित्तीय योजनाऐं भी प्राधिकरण संघ द्वारा तैयार की जा रही है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(1) म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायो के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आई.डी.एस.एम.टी तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजनाओं के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

जॉच समितिया, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाए निरंक

भाग – पॉच

अभिनव योजना

प्रदेश के 50 नगरों की विकास योजनाऐं निजी नगर नियोजकों के माध्यम से तैयार करने का कार्य संभावित है। इन 50 नगरों पर होने वाले संभावित व्यय रू. 459.50 लाख अनुमानित है।

भाग – छः

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से एक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करना प्रस्तावित है।

भाग – सात (सारांश)

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संघ द्वारा अमल किया जा रहा है। प्राधिकरण संघ में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है।

प्राधिकरण संघ में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संघ में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन सहायक वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में कार्यालय में कुल– 12 महिला कर्मी है।

आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

आगामी वर्ष में प्राधिकरण संघ द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत नगरों के शेष योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य पूर्ण करना तथा यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की योजना घटकों का क्रियान्वयन पूर्ण कराना प्रथम लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक नगरों की योजनाओं का परीक्षण तथा योजनाऐं तैयार कर स्वीकृति प्राप्त करने का कार्यक्रम है, साथ ही आई.एच.एस.डी.पी. योजनाऐं तथा नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

विभागीय संरचना

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य प्रमुख सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं। वर्तमान में निगम कार्यालय में 5 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

अधीनस्थ कार्यालय

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म. प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

निगम के दायित्व

राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी

(1) निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

(2) वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

(3) सामान्य रूप से एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यकी

क्रमांक	उपलब्धियॉ	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	192
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,662

भाग – दो

बजट

निगम एक स्व वित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष रू. 100.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार आय रूपए 45,31,985.87 पैसे मात्र रही तथा व्यय रूपए 44,51,310.84 पैसे मात्र रहा।

भाग – तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजनाएं

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–2007 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2006 तक ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, झाबुआ, रतलाम एवं राजगढ़ में लगभग रूपए 1,636.03 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 715 तथा इस वर्ष 26 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है तथा शेष भू–खण्डों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में वर्ष 2003 सें दिसम्बर, 2006 तक निगम द्वारा प्रदेश के 06 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 1,076 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रूपए 1086.31 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा विभिन्न श्रेणी के 94 आवासीय भवनों की लगभग रूपए 537.76 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भवनों के आवंटन हेतु विज्ञापन जारी कर इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये।

(ब) **केन्द्र प्रवर्तित योजना** निरंक

(स) **विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं** निरंक

(द) **विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं** निरंक

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(ब) मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 06 तारांकित प्रश्न, 06 अतारांकित प्रश्न एवं 00 राज्य सभा प्रश्न तथा प्राप्त हुये। निगम द्वारा इन प्राप्त प्रश्नों के सम्बंध में वाँछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2006–2007 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2006 में इस निगम के विरूद्ध कुल 05 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुये। निगम द्वारा इन प्रकरणों का जवाबदावा निर्धारित समय–सीमा में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ई) अन्य विधायी कार्यों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

भाग–पाँच

अभिनव योजना निरंक

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं प्रकाशित किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग–सात

महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2003 तक 275 तथा विगत तीन वर्षों में 129 एव ंवर्ष 2006–07 में 06 इस प्रकार कुल 410 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

सारांश

इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल में विभिन्न श्रेणी के 192 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, झाबुआ, रतलाम एवं राजगढ़ में विभिन्न श्रेणी के 2662 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम द्वारा आगामी वर्ष में प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रूपए 488.74 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 567 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया जायेगा तथा आगामी समय में भी निगम द्वारा विभिन्न सम्भाग आयुक्त/जिला कलेक्टर्स के प्रस्ताव अनुसार आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जावेगी।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रशासकीय संरचना

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। राज्य में कार्यरत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुये पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जनचेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं। बोर्ड का प्रशासनिक ढॉचा निम्नानुसार है :

---

1. **अध्यक्षः श्री प्रभु दयाल मीना, (आई. ए. एस.)**

↓

सदस्य सचिव श्री बी. के. सिंह

↓

मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	**अधीक्षण यंत्री**	**वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी**	**वित्त अधिकारी**	**प्रशासकीय अधिकारी**
संख्या–01	संख्या –06	संख्या–03	संख्या–01	संख्या–01

---

2. **मुख्यालय**

↓

क्षेत्रीय कार्यालय

↓

क्षेत्रीय अधिकारी

↓

भोपाल गुना, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, इंदौर, धार, रीवा, सतना, जबलपुर

---

3. **प्रयोगशाला संरचना**

↓

मुख्यालय भोपाल (अनुसंधान केन्द्र)

↓

क्षेत्रीय प्रयोगशाला

↓

भोपाल गुना, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, इंदौर, धार, रीवा, सतना, जबलपुर

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के तहत् प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करता है :–

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गतः–
   - 4.1 परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन तथ हथालन) संशोधन नियम,2000
   - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात संशोधन नियम, 2000
   - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम, 1998
   - 4.4 पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999
   - 4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000
   - 4.6 बैटरी (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2001

बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय अनुसंधान केन्द्र, दस क्षेत्रीय कार्यालय, एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चार उप क्षेत्रीय कार्यालय, दो मॉनिटरिंग सेन्टर एवं तीन एकल खिड़की कार्यालय कार्यरत हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य दायित्व

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मानिटरिंग।
- पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु मानिटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना तथा सम्मति का नवीनीकरण करना।
- वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराना।
- क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों आदि में घरेलू जल–मल से जल गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसके नियंत्रण हेतु योजना बनाना।
- जल उपकर अधिनियम 1977 के प्रावधानों के तहत जल उपयोग संबंधी जानकारी मुख्यालय भेजना।
- पर्यावरण जन चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

बजट प्रावधान एवं आय

वर्ष 2005–2006 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्ति रूपये 1643.10 लाख प्राप्त हुई है जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि 316.00 लाख, केन्द्र शासन से रूपये 240.90 लाख (जिसमें जल उपकर राशि के अंश अंतर्गत 225.00 लाख रूपये सम्मिलित हैं)।

वर्ष 2006–2007 में प्रस्तावित योजनाओं के लिये रूपये 77.93 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित योजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र	योजना	बजट आवंटन (लाख रूपये)
1.	मेलों के समय विशिष्ठ प्रदूषण की रोकथाम	6.00
2.	बड़ी नदियों के प्रवाह, जल निकाय एवं उद्‌गम स्थलों की निगरानी	9.00
3.	वायु प्रदूषित क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का आकलन	6.00
4.	बोर्ड का संगठनात्मक सुधार	15.00
5.	शोध एवं विकास संस्थान	16.43
6.	वाहन एवं ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन एवं निगरानी	5.50
7.	इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर	2.00
8.	खतरनाक अपशिष्ठ डिस्पोजल साईट का पर्यावरणीय सुधार	5.00
9.	पर्यावरण पुरस्कार	3.50
10.	सेमीनार, प्रशिक्षण एवं प्रचार	5.00
11.	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)	1.00
12.	प्लास्टिक अपशिष्ठ के प्रबंधन हेतु जन–जागृति कार्यक्रम	3.50
	कुल योग	**77.93**

उपरोक्त के विरूद्ध बोर्ड को नवंबर 2006 तक रूपये 37.43 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है।

I. राज्य योजनायें

प्रदेश में विकास को पर्यावरणीय अधिनियमों के परिपेक्ष्य में संतुलित रखने के अभिप्राय से पर्यावरण नीति बनाई गई है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता मापन व निगरानी, जोनिंग, परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत संपादित प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैं :–

1. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

प्रदेश को औद्योगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के उद्वेश्य से विशेष कदम उठाते हुये राज्य में आनेवाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी गई। आने वाले सभी उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्देशित किया गया। इस वर्ष दिनांक 1.4.2006 से 31.12.2006 तक लगभग पचास हजार वृक्षों का रोपण मेसर्स विक्रम सीमेंट लिमि. खोर जिला– नीमच द्वारा किया गया। पूर्व से स्थापित सभी जल/वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के साथ–साथ 27 बृहद एवं मध्यम श्रेणी के व 23 लघु श्रेणी के उद्योगों द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 13 बृहद एवं

मध्यम श्रेणी के व 07 लघु श्रेणी के उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उपकरण लगाये गये। अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुमति हेतु प्रकरण भारत शासन को पर्यावरण आंकलन अधिसूचना के अनुसार लोक सुनवाई के पश्चात् अग्रेषित किये जाते हैं।

2. लघु उद्योगों को राज्य द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आर्थिक सहायता

छोटे एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर उद्योगों के दूषित जल उपचार हेतु संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र योजना के अंतर्गत भोपाल के गोबिन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र के लघु उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल को संयुक्त रूप से उपचारित करने के उद्देश्य से शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। उपरोक्त योजना में राज्य शासन के 25 प्रतिशत, केन्द्र शासन के 25 प्रतिशत, हितग्राहियों के 10 प्रतिशत व बैंकों से 40 प्रतिशत ऋण की आर्थिक व्यवस्था के साथ संयुक्त दूषित जल शोधन संयंत्र का कार्य पूर्ण किया गया।

3. नगरीय प्रदूषण नियंत्रण

नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का है। इस हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करना एवं उपरोक्त नियमों के तहत् बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना भी आवश्यक है। विचाराधीन वर्ष में 31.12.2006 तक 293 नगरीय निकायों द्वारा बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त कर लिया है। 2 नगरीय निकायों द्वारा अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु बायो फर्टिलाईजर प्लांट की स्थापना की गई है। 330 नगरीय निकायों द्वारा इस हेतु स्थलों का चयन कर लिया गया है।

नगरीय निकायों को उपरोक्त नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्रदान करने हेतु उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है तथा दिनांक 22. 3.2005 को सागर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी प्रकार दिनांक 5.10.2005 को रीवा में ओरियन्टेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ठोस अपशिष्ठों के निस्सारण एवं उनके उचित प्रबंधन तथा निपटान हेतु श्योरपुर, खुजराहो एवं रीवा के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से मॉडल डी.पी.आर. तैयार कराई जा चुकी है एवं इन स्थानीय निकायों को डी.पी.आर. के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा डी.पी.आर. प्रेषित की जा चुकी है।

4. परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन

परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन व हथालन) नियम 1989 व संशोधित नियम, 2000 एवं 2003 के अनुसार प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ठों का उत्पन्न करने वाले उद्योगों का पता लगाने, उत्पन्न होने वाले अपशिष्ठों की श्रेणी, वार्षिक मात्रा एवं अपशिष्ठों के उचित प्रबंधन एवं अपवहन की कार्यवाही की जा रही है। इस नियम के अंतर्गत अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 970 उद्योगों को प्राधिकार दिया जा चुका है।

मध्य प्रदेश शासन की मदद एवं मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला–धार में परिसंकटमय अपशिष्ठों के सुरक्षित अपवहन हेतु संयुक्त उपचार एवं अपवहन सुविधा का विकास किया गया है। इस सुविधा में नवम्बर 06 से परिसंकटमय अपशिष्ठों के अपवहन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। दिसम्बर 2006 तक 3600 मैट्रिक टन अपशिष्ठ का भूमि भरण (लैण्ड फिलिंग) हो चुका है ।

5. इमरजेंसी रिस्पॉस सेंटर (ई.आर.सी.)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं अन्य संबंधित आपात परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पॉस सेंटर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन मध्यप्रदेश राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा हैं मध्यप्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इस केन्द्र को नोडल एजेंसी घोषित किया है। वर्तमान तक कुल 258 उद्योगों द्वारा इस केन्द्र की सदस्यता प्राप्त की गई है। ई.आर.सी. के कार्य क्षेत्र की सीमा सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य तक सीमित नहीं है। अतः इसके द्वारा पूर्व में आवश्यकता अनुरुप आपदा की स्थिति में मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को भी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

इस केन्द्र के द्वारा विभिन्न रसायनों की जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य सी.ए.एस. संख्या, आर.टी.ई.सी.एस. संख्या, प्रचलित रसायनिक नामों आदि के आधार पर तैयार की गई है। रसायनों की पहचान हेतु क्रास इन्डेक्सिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस केन्द्र द्वारा क्रेफ्ट सिस्टम भी तैयार किया गया है, जिसके द्वारा रसायनों की गुणधर्मता ज्ञात की जा सकती है। रसायनिक दुर्घटनाओं के दौरान आवश्यक बचाव संबंधी जानकारी, एन्टीडॉट की जानकारी, दुर्घटना के प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी (एम.एस.डी.एस., आई.सी.एस.सी आदि) भी इस केन्द्र द्वारा तैयार की गई है। विभिन्न पेस्टिसाइड्स के प्रभावों एवं उनसे बचाव की जानकारी, पाइज़न मोनोग्राफ्स व लगभग 300 से अधिक रसायनों की पर्यावरणीय मॉनीटरिंग एवं विश्लेषण की विधियों की जानकारी भी ई.आर.सी. द्वारा संकलित की गई है। जिसका उपयोग संबंधितों को मार्गदर्शन देने एवं आपात परिस्थितियों के निगरानी एवं नियंत्रण में सहायक होगा।

ई.आर.सी. के द्वारा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को वेब–साईट www.ercmp.nic.in पर दिया गया है। आपात अथवा सामान्य परिस्थितियों में रसायनों से संबंधित तकनीकी जानकारी के संबंध में दूरभाष क्रं. 0755–2469180, फेक्स 0755–2463742, ई.मेल ercbpl@sancharnet.in अथवा ercmppcb@mp.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

6. जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 1998 को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 प्रकाशित किये गये हैं जो उन सभी व्यक्तियों पर लागू हैं जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ठा का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन (डिस्पोजल) करते हैं। इन अपशिष्ठों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है तथा उपचार की विभिन्न पद्धतियॉ जैसे इन्सीरिनेशन, आटो क्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग श्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाढ़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं।

स्वास्थ्य सेवायें अति आवश्यक होने के कारण अधिकांश चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनके कचरे के अपवहन व डिस्पोजल की पृथक से व्यवस्था न होने के कारण पूर्व में इनका अपवहन व डिस्पोजल नगरीय ठोस अपशिष्ठों के साथ किया जाता था। जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम लागू होने के उपरांत इन संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्ठों के समुचित प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तर पर समन्वित प्रयास जैसे–चिकित्सालय में कार्यरत् स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण ताकि वे विभिन्न श्रेणी की अपशिष्ठों को नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पृथक–पृथक डस्टबिन में रख सकें, प्रत्येक नगर में जीव चिकित्सा अपशिष्ठ के उपचार हेतु संयुक्त उपचार व्यवस्था तथा उपचारित अपशिष्ठों के डिस्पोजल हेतु डम्पिंग साईट हेतु स्थलों का चयन व विकास इत्यादि। इस हेतु स्थानीय प्रशासन विभाग,स्वास्थ्य विभाग,नर्सिंग होम एसोसियेशन इत्यादि के साथ बैठकें आयोजित कर समन्वित उपचार व्यवस्था की स्थापना हेतु

प्रयास किये गये। तथा वर्ष 1998 से निरंतर सभी चिकित्सा संस्थानों अथवा इनके स्थानीय संगठनों व संबंधित शासकीय विभागों/चिकित्सालयों का पत्राचार, बैठकें इत्यादि आयोजित कर नियमों से अवगत कराया गया तथा अधिकांश चिकित्सालयों में स्टॉफ को अपशिष्ठों के पृथककरण व सुरक्षित एकत्रीकरण से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप दिसम्बर 2006 की स्थिति में मध्य प्रदेश में विभिन्न बिस्तर क्षमता के अस्पतालों एवं अस्पतालों की संख्या निम्नानुसार है :–

1.	500 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	– 6
2	200 से 500 बिस्तर क्षमता के अस्पताल	– 28
3	50 से 200 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	– 120
4	50 विस्तर से कम क्षमता के अस्पताल	– 1095

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों के अनुसार पॉच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भस्मक विधि पर आधारित अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित अस्पतालों में भी भस्मक स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 36 अस्पतालों द्वारा स्वयं के भस्मक की स्थापना की गई है तथा इनमें से 3 अस्पतालों जे.ए. अस्पताल ग्वालियर, नेताजी सुभाष अस्पताल जबलपुर, जिला चिकित्सालय सतना द्वारा अपने भस्मक में नगर के अन्य अस्पतालों को व्यवसायिक शर्तो पर अपशिष्ठ दहन की सुविधा दी गई है।

निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा भी व्यवसायिक शर्तो पर भस्मक पद्धति पर आधारित संयंत्र स्थापित कर जीव चिकित्सा अवशिष्ठ को संयुक्त उपचार की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है जहॉ अस्पतालों से कचरा एकत्रित कर उपचार स्थल तक परिवहन किया जाना है एवं उसका विनष्टिकरण किया जाता है :–

इन्दौर नगर	–	1
भोपाल नगर	–	1
जबलपुर नगर	–	1

5 लाख से कम आबादी के नगरों में डीप बरियल(गहरा गाढ़ना) पद्धति पर आधारित उपचार व्यवस्था की जाने की नियमों में अनुमति है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों/संस्थाओं द्वारा निम्न 4 नगरों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है जिसका उपयोग नगर एवं आसपास के चिकित्सा संस्थान करते हैं :–

छिंदवाड़ा
होशंगाबाद
रीवा
सागर

नियम की धारा 14 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय संस्था नगर निगम, नगर पालिका आदि का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रों में संयुक्त अपशिष्ठ निपटान/भस्मक स्थापित करें।

7. जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

प्रदेश की पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखने के लिये बोर्ड के द्वारा विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की जांच हेतु जल, वायु, ध्वनि एवं वाहन मापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :–

अ. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलो, बॉधो, तालाबों एवं नालों से वर्ष 2005–2006 में कुल 1416 तथा 2006–2007 में अक्टुबर तक 704 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के आधार पर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया गया है।

ब. औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग एवं उद्योगो के चिमनियों के उत्सर्जन व परिवेशिय वायु की निगरानी

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2005–2006 में कुल 3369 तथा 2006–2007 में अक्टुबर तक 1662 औद्योगिक दूषित जल नमूने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये।

चिमनियों के उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के तहत चिमनियों से वर्ष 2005–2006 में 744 व वर्ष 2006–2007 में माह अक्टुबर तक 241 एवं परिवेशीय वायु के 2005–2006 में 2665 एवं वर्ष 2006–2007 में माह अक्टुबर तक 762 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के निर्धारित मानकों से अधिक होने पर बोर्ड द्वारा उद्योगों को दूषित जल उपचार व्यवस्था प्रभावी बनाये जाने के लिये कार्यवाही की गई।

स. वाहन उत्सर्जन मापन

बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2005–2006 में कुल 10104 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया, जिसमें से 2065 वाहन निर्धारित मानको से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। वर्ष 2006–2007 में माह नवम्बर तक 5345 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। जिसमे से 909 वाहन निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। जिसकी जानकारी परिवहन आयुक्त को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

द. ध्वनि स्तर मापन

बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों के आवासीय, वाणिज्यिक,शांत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है । वर्ष 2005–2006 में प्रदेश में कुल 4578 ध्वनि स्तर मापन किये गये । जिसमे से 44.4 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आंकडे निर्धारित मानको से अधिक पाये गये। वर्ष 2006–2007 में माह नवम्बर तक कुल 3370 ध्वनि स्तर मापन कार्य किया गया। जिसमे से 50.6 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आंकड़े निर्धारित मानक से अधिक पाये गये। इसकी जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

ध. मेलों के अवसर पर प्रदूषण की निगरानी

प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक एवं व्यवसायिक मेलों के अवसर पर बोर्ड जनसामान्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक विषयक चेतना जागृत करने के उददेश्य से प्रर्दशनियों का अयोजन कर प्रदूषण के कारण पर्यावरण संरक्षण में जन योगदान आदि विषयों का प्रचार–प्रसार विभिन्न पोस्टर्स, फोटोग्राफ मॉडल आदि के माध्यम से करता है। इस अवसर पर जल स्त्रोतों की सतत निगरानी,वायु गुणवत्ता व ध्वनि स्तर का मापन किया जाता है । वर्ष 2006–2007 की अवधि में कुल 17 मेलों का आयोजन होना है ।

II केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र शासन द्वारा भी जल, वायु गुणवत्ता मापन हेतु योजनायें प्रायोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

अ. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

योजना के अंतर्गत राज्य के 10 शहरों में 24 स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, पर सप्ताह में दो बार वायु मानिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साईड, नाइट्रोजन के ऑक्साईड, संस्पेडेड पार्टीकुलेट मेटर एवं रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर का परीक्षण परिवेशिय वायु मे किया जाता है।एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमुनो की संख्या निमनानुसार है :–

क्र.	पैरामीटर	नमूनो की संख्या 2005–2006	नमूनो की संख्या नवम्बर 2005 तक
1	So_2	5755	6072
2	No_x	5755	6072
3	RSPM	3082	3124
4	SPM	3082	3124

ब. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता बढाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थो का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2005–2006 मे कुल 39 नमूने तथा अप्रेल 2006 से अक्टूबर–2006 तक 24 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण स्तर का आंकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

स. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)

यह योजना केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उददेश्य से प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत वर्ष 2005–2006 में 43 सेपलिंग स्थानो से 257 नमूने तथा अप्रैल 2006 से अक्टुबर 2006 तक 212 नमूने एकत्रित

कर विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण स्तर का आकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

III पर्यावरण नियोजन एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधित प्रचलित परियोजनायें

1. जोनिंग एटलस

उद्योगों एवं क्षेत्रों का सुव्यवस्थित विकास ही प्रदूषण की समस्या के निदान का सशक्त साधन है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से संभावित औद्योगिक क्षेत्रों के निर्धारण हेतु जिलेवार जोनिंग एटलस तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

बोर्ड की जोनिंग एटलस शाखा द्वारा विभिन्न स्केलों में पर्यावरण आधारित एटलस तैयार किये जाते हैं । जिनमें क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, भूगर्भ तथा सतही जल (गुणवत्ता, उपयोग, उपलब्धता), वायु गुणवत्ता, वर्तमान भूमि उपयोग, ड्रेनेज, टोपोग्राफी, जिले के संवेदनशील स्थल आदि के संबंध में मानचित्र तथा इनका पूर्ण विश्लेषण एवं भूमि–उपयोग संबंधित अनुशंसाओं का उल्लेख किया गया है।

तैयार किए गये एटलसों की उपयोगिता

जोनिंग एटलस क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय विशेषताओं एवं विभिन्न प्रदूषण कारकों का परिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये विकास हेतु किसी भी गतिविधि के स्थापन एवं संचालन के लिये स्थल चयन में सहयोग प्रदान करता है जिससे किसी भी गतिविधि के स्थानन एवं संचालन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। जोनिंग एटलस के माध्यम से शासन, स्वपोषी विकास के लिए योजना एवं नीति विकसित कर सकता है। नियामक संस्थाएँ (रेग्यूलेटरी अथॉरिटीज) भी बेहतर व पारदर्शिता के साथ स्वीकृति, मॉनिटरिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं में तेजी ला सकते हैं।

वर्तमान/प्रस्तावित नए या विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्थल चयन हेतु विभिन्न स्थलों का अध्ययन/शहरीकरण, वनीकरण, पर्यटन स्थल विकास, खदान स्थल विकास, औद्योगिक क्षेत्र आदि जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार के अध्ययनों से प्राप्त एटलसों (मानचित्रों, अनुशंसाएँ आदि) का उपयोग अत्यन्त सहज रूप से किया जा सकता है। किसी भी विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु हर दृष्टि से उपयुक्त स्थल का चयन यदि इस प्रकार के पर्यावरण पर आधारित अनुशंसाओं के दृष्टिगत किया जाये तो निश्चित रूप से विकास अधिक प्रभावी एवं स्थायी होगा।

संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि यह एक मार्गदर्शिका है जिसके माध्यम से किसी भी विकास गतिविधि को प्रारंभ करने हेतु ऐसा स्थल चयन किया जा सकता है जहाँ गतिविधि विशेष के संचालन के कारण पर्यावरण को असाध्य क्षति न पहुँचे और जो भी विकास हो वह पर्यावरण क्षति के मूल्य पर न हो।

गत वर्ष किये गये अध्ययन

1. मध्यप्रदेश राज्य के एटलस (State Environmental Atlas) का कार्य पूर्ण किया गया।
2. सागर एवं छिन्दवाड़ा जिलों के पुर्नरक्षित जिलेवार जोनिंग एटलस तैयार किये गये।

आगामी वर्ष 2006–07 के लिए प्रस्तावित/क्रियान्वित कार्य

1. मध्यप्रदेश राज्य के एटलस के प्रकाशन हेतु कार्यवाही।
2. अन्य तैयार किये गये जिलेवार पर्यावरणीय एटलस के प्रकाशन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एम.ओ.डी. से अनुमति एवं बजट आदि हेतु कार्यवाही कर प्रकाशन का कार्य करना ।

2. जल उपकर

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित होता है।

नीचे दी गई तालिका में तीन वर्षो में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है :–

(लाख रूपयों में)

वर्ष	निर्धारित उद्योगों की संख्या	निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या	निर्धारित उपकर की राशि	एकत्रित उपकर/अर्थात केन्द्र शासन को भेजी गई रशि	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि
2005-06	595	300	480.97	393.21	128.96
2006-07 दिसम्बर–06 तक	480	172	410.19	332.32	168.45

3. पर्यावरणीय अनुसंधान

बोर्ड के अनुसंधान केन्द्र द्वारा वर्ष 2006–07 में पाथाखेड़ा स्थित कोयला खनन यूनिट की प्रक्रिया से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, नर्मदा नदी, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्र की मृदा एवं कृषि उत्पादों में भारी धातुओं एवं कीटनाशकों की उपस्थिति का अध्ययन, इन्दौर शहर में स्थित पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र के क्लोरिनयुक्त जल में टी.ओ.सी., ए.ओ.एक्स. फारमेशन (ट्रायहैलोमिथेन) की उपस्थिति पर अध्ययन, पीथमपुर औघोगिक क्षेत्र के भूजल में प्रदूषण की जॉच संबंधित योजनाओं पर अध्ययन का कार्य किया जा रहा है।

IV. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

1. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

देश की नदियों के शुद्धीकरण के लिये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ''राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना'' का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सात नदियों के किनारे बसे ग्यारह नगरों के क्रमशः क्षिप्रा (उज्जैन), खान (इन्दौर), ताप्ती (बुरहानपुर), चम्बल (नागदा), नर्मदा (जबलपुर), बेतवा (भोपाल, विदिशा, मण्डीदीप) एवं वैनगंगा (सिवनी, छपारा, केवलारी) में दूषित जल–मल से नदी में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित तथा शुद्धीकरण करने का प्रावधान है।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा इस योजना के तहत् प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। केन्द्र शासन द्वारा इन योजनाओं हेतु 101.19 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया था।

योजनाओं का कियान्वयन राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन,सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं भूमि के अधिग्रहण संबंधी योजनायें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अल्प लागत स्वच्छता,शवदाह गृह एवं ठोस अपशिष्ठों के प्रबंधन संबंधी योजनाओं का कियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं संबंधित नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा, नदी तटाग्र विकास योजना का कियान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा एवं वनीकरण योजनाओं का कियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में योजनान्तर्गत कुल 76 कार्य कराये जाना थे जिसमें से सभी कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है जिनमें से रूपये 75.32 करोड़ लागत की कुल 58 योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके विरूद्व भारत शासन से 68.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। स्वीकृत 58 योजनाओं में से 52 योजनायें पूर्ण हो चुकीं है, जिन पर 30 नवम्बर 2006 तक 67.63 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है तथा शेष 6 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना के समस्त अवयवों का कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना में शामिल नदियों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

2. सूचना एवं प्रोद्योगिकी (आई.टी.) शाखा

सूचना प्रौद्योगिकी का पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उपयोग अत्यन्त कारगर सिद्ध हुआ है। जिससे सेटेलाईट इमेंजरी द्वारा भौगोलिक अवस्थों का वास्तविक आंकलन, वायुमंडलीय पर्यावरण के घटकों तथा क्रियाओं जैसे गैसीय विसर्जन एवं विघटन, ओजोन डिपलीशन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के संबंध में गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। ग्लोबल इन्फॉरमेशन सिस्टम (ळैप्) सॉफ्टवेयर के द्वारा उपरोक्त कार्य सेटेलाइट दृश्यों, टोपोशीट तथा संबंधित पर्यावरणीय आंकड़ों को कम्प्युटर के माध्यम से संयोजन कर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के आंकलन की क्षमता को विकसित करने में सहायक हुआ है एवं पर्यावरण प्रभाव अध्ययन आदि कार्यो में विशेष रुप से उपयोगी है।

इसके अन्तर्गत बोर्ड की वेब साईट पर बोर्ड के कार्यो की जानकारी, पर्यावरण नियम, प्रदूषण मापन एवं गुणवता, सम्मति/नवीनीकरण शासकीय संस्थाओं, व अनुसंधान संस्थाओं एवं जन–सामान्य के लिये उपयोगी जानकारी है।

बोर्ड के विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आपस में कम्प्यूटर की कनेक्टीविटी के लिये इंटरनेट तथा इंट्रानेट की व्यवस्था की गई।

बोर्ड द्वारा 05 वृहद स्तर के साफ्टवेयर के माध्यम से तकनीकी, वैज्ञानिक, जल उपकर, वित्त स्थापना, परियोजना व अन्य शाखाओं के कार्यो को सरलीकृत तथा कागज मुक्त किया गया बोर्ड के सभी अधिकारी/कर्मचारियों की पहचान तथा पारदर्शिता के लिये फोटो परिचय पत्र उपलब्ध कराये गये ।

3. न्यायालयीन प्रकरण

वर्ष 2006–2007 में दिसम्बर तक कुल 19 दोषी उद्योग/संस्थानों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं।

V. सामान्य प्रशासनिक विषय

1. नियुक्ति

वर्ष 2006–2007 में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत बैकलांग की पूर्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से विभिन्न संवर्गो में नियुक्ति आदेश जारी किये गये जिनमें:–

1.	उपयंत्री	01
2.	रसायनज्ञ	08
3.	नि.श्रे.लि.	07
4.	वाहन चालक	02
5.	प्रयोगशाला परिचारक	10

2. क्रमोन्नति

वर्ष 2006–2007 में बोर्ड के तृतीय श्रेणी के 07 एवं चतुर्थ श्रेणी के 17 कर्मचारियों की क्रमोन्नति की गई। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के क्रमोन्नति संबंधि प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है।

3. विभागीय जांच

वर्ष 2006–2007 में निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थापित की गई।

1. श्री हेमन्त शर्मा, अधीक्षण यंत्री ।
2. श्री विजय शंकर पाठक, नि.श्रे.लि.।

4. न्यायालयीन प्रकरण

विचाराधीन वर्ष 2006–2007 में माह दिसम्बर 2006 तक प्रशासन/स्थापना से संबंधित निम्न न्यायालयीन प्रकरण कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दायर किये गये :–

क्र.	प्रकरण का विवरण	प्रकरण क्र.	वर्तमान स्थिति
1.	श्रीमति विनिता गौतम विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य	16301/05	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
2.	श्री डी.गदेवाडीकर विरूद्ध बोर्ड व अन्य	529/06	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
3.	श्रीआर.एस.भावसार विरूद्ध बोर्ड व अन्य	643/06	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर मे विचाराधीन
4.	श्रीरामनारायण सिंह विरूद्ध बोर्ड व अन्य	16234/06	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
5.	श्री प्रयत्न विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य	16234/05	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन
6.	श्री विजयशंकर पाठक विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य	12422/06	मा.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्णित पारित किया गया ।

VI. अभिनव योजना

निरंक

1. प्रकाशन

बोर्ड द्वारा समय समय पर विभिन्न ब्रोशर, पेम्पलेट आदि प्रकाशन कर उसमें पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुंचाने वाली तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिये वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।

2. राज्य की महिला नीति

राज्य की महिला नीति व कार्य योजना के कियान्वयन हेतु श्रीमती रीता कोरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, एवं कियान्वयन किया जा रहा है।

3. जल–मल शोधन संयंत्र की स्थापना

बोर्ड द्वारा जल अधिनियम के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों एवं जिलाध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि सभी आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों से निकलने वाले घरेलू दूषित जल को जल शोधन संयंत्र में उपचार के पश्चात् ही भूमि पर, तालाब या झील में निस्सारित किया जाये।

4. सी. डी. एम. परियोजना

सी. डी. एम. परियोजना के अन्तर्गत समस्त शासकीय उपकमों में सी. डी. एम. प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है जैसे भोपाल नगर निगम का भूमि भरण परियोजना में सी. डी. एम. का विस्तृत परियोजना प्रकलन (पी. डी. डी.) तैयार किया गया है। परियोजना प्रारंभ होते ही पंजीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

5. बोर्ड की प्रयोगशालाओं का उन्नयन

बोर्ड की प्रयोगशालाओं का उन्नयन कर भारत वर्ष में पहली बार स्वयं के स्तर पर खतरनाक अपशिष्ठ का सर्वांगीर्ण विश्लेषण (Comprehencive annalysis) का कार्य किया जा रहा है । जिससे बोर्ड को लगभग एक करोड़ की राशि का राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

6. जी. आई. एस. प्रशिक्षण

एशियन डवलपमेन्ट बैंक व जी. टी. जेड. के सहयोग से बोर्ड के लगभग 100 अधिकारी / कर्मचारियों को जी. आई. एस. टूल्स एवं पी. सी. एप्लीकेशन के संदर्भ में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

7. उद्योगों के निस्त्राव का बोर्ड प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण

कुछ पर्यावरणीय सलाहकारों द्वारा औद्योगिक निस्त्राव / उत्सर्जन के फर्जी विश्लेषण को रोकने के अभिप्राय से जल तथा वायु अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उद्योगों को विश्लेषण हेतु बोर्ड की अथवा बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं में ही कराने के निर्देश दिये गये हैं।

8. यूनियन कार्बाइड भोपाल के जहरीले कचरे का निष्पादन

बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पी. डी. मीना की अध्यक्षता में तकनीकी समिति (टॉस्क फोर्स) द्वारा यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसमें 50 मैट्रिक टन अपशिष्ठ पीथमपुर स्थित सुरक्षित भूमि भरण (टी. एस. डी. एफ.) व्यवस्था में किया जावेगा तथा 250 मैट्रिक टन अपशिष्ठ अंकलेश्वर स्थित भस्मक में भस्मीकृत किया जायेगा।

9. एस.ई.आई.ए. तथा एस.ई.ए.सी. का गठन

भारत शासन के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सितम्बर 2006 में जारी ई. आई. ए. नोटिफिकेशन के अन्तर्गत म. प्र. शासन द्वारा विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों के नाम अंतिम रूप से चयन कर **राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.)** तथा **विशेषज्ञ ऑकलन समिति (एस. ई. ए. सी.)** का गठन शीघ्र करने हेतु पारदर्शी पहल की गई।

10. बोर्ड के द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति

बोर्ड के गठन से लेकर वर्ष 2006 तक की स्थिति के विपरीत सितम्बर 2006 से बोर्ड द्वारा निपटाये जाने वाले उद्योगों की सम्मति / प्राधिकारों के प्रकरणों का निपटारा विशेष अभियान चलाकर शत प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया । इस लक्ष्य को प्रभावशील रखा जा रहा है।

सारांश

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर उनका विश्लेषण करना है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों एवं ध्वनि प्रदूषण की भी जांच की जाती है। प्रदेश में स्थापित उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के निर्देश भी दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना आवश्यक है।

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

भाग – एक

संरचना

मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की स्थापना पर्यावरण क्षेत्र में राज्य सरकार की परामर्शदात्री संस्था के रूप में 5 जून, 1981 को की गयी। एप्को सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है जिसके अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल तथा उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन में संस्था एक परामर्शी की भूमिका निभाती है। संस्था का प्रबंधन शासी परिषद द्वारा किया जाता है। जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण एवं महानिदेशक एप्को तथा राज्य शासन के वित्त एवं वन विभागों के सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन के प्रतिनिधि, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुलपति, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल एवं एक विख्यात पर्यावरणविद् शासी परिषद के सदस्य होते हैं। कार्यपालन संचालक, एप्को इसके सदस्य सचिव हैं।

महानिदेशक – **श्री प्रभु दयाल मीना**
कार्यपालन संचालक – **श्री हरि रंजन राव**

उद्देश्य

1 राज्य की पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना,

2 प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जनजागृति पैदा करना,

3 राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण में राज्य शासन को परामर्श

4 भवन निर्माण आकल्पन करना,

5 जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों की पहचान कर परियोजना दस्तावेज तैयार करना

अधीनस्थ कार्यालय

संगठन का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी एक मात्र शाखा विशेषतौर पर पर्यावरण के ग्रामीण पहलुओं पर कार्य करने के उद्देश्य से एप्को–ग्रामीण के नाम से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर, रीवा में स्थित है।

भाग – दो

वजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

मांग संख्या–21 शीर्ष–2217
22–17–शहरी विकास (आयोजना)

05	अन्य शहरी विकास योजनाएं	प्राप्त बजट राशि 2005–2006	माह जनवरी 2006 तक प्राप्त राशि
513	पर्यावरणीय अनुसंधान प्रतिरक्षण, शिक्षण	130.00	71.50
1444	जल प्रदाय निकायों का पर्यावरण सुधार	47.13	28.58
	एप्को – डी.एफ.आई.डी.	321.00	00.00
	योग – सामान्य योजना मांग संख्या –21–2217	**498.13**	**100.08**

भाग – तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

एप्को आवास एवं पर्यावरण विभाग की एक स्वशासी सलाहकारी संस्था है। संस्था द्वारा पर्यावरणीय शोध तथा योजना एवं आकल्पन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इस हेतु संगठन को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा कार्यों के संचालन हेतु नियमित रूप से धन रशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है अपितु आर्थिक सहयोग के रूप में गतिविधि आधारित आंशिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान राशि एवं परामर्शी सेवा द्वारा स्वअर्जित राशि से संचालित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य एवं केन्द्रीय योजनाएं

रूपांकन सेवाएं

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय भवन का विस्तार

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्यालय भवन पर्यावरण परिसर के विस्तार के रूपांकन का कार्य संगठन द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र लगभग 2000 वर्ग मी. है। प्रस्तावित भवन में मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां होगी तथा साथ ही कांफ्रेंस हाल, पुस्तकालय, कैन्टीन, कामन रूम आदि सुविधाएं भी प्रस्तावित है।

भवन को उर्जा सम्मत बनाने हेतु पर्याप्त ध्यान दिया गया है। प्रस्तावित भवन में Cooling ducts, double cavity walls, structured glazing जलीय वर्षा संवर्धन, स्थानीय उपलब्ध भवन सामग्री का उपयोग माडयूलर आफिस सिस्टम आदि की भी व्यवस्था की गयी है। भवन की कुल लागत करीब रू. 256.00 लाख है।

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान का विस्तार

भोपाल में कोलार डेम के समीप लगभग 40 एकड़ की भूमि पर स्थित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी थी। भविष्य में अनुमानित लगभग 1500 छात्रों की शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने की चेष्टा संस्थान द्वारा की जा रही है। इस हेतु संस्थान के विस्तार के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सेवाओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से वास्तुविद्‌ीय रूपांकन का कार्य तथा सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत मास्टर प्लान एवं भूदृश्यीकरण का कार्य एप्को को सौंपा गया है।

संस्थान में प्रशासनिक भवन के साथ–साथ विभिन्न संकाओं के अलग–अलग भवन बनाए जायेंगे। खेलकूद के मैदान की व्यवस्था के साथ–साथ आउटडोर स्टेडियम एवं मल्टीपरपज हॉल की सुविधा भी प्रस्तावित है। शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए आवास एवं एक गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 1000 छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास, मेस /डाइनिंग सुविधा के साथ प्रस्तावित है। वर्तमान में निर्मित पुस्तकालय को ई–लाइब्रेरी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। संस्थान में युवा गतिविधियों के संचालन के लिए एक सुसंगत ऑडिटोरियम बनाया जायेगा।

भोपाल गैस त्रासदी स्मारक

यूनियन कार्बाइड परिसर जहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी की दुर्घटना घटित हुई थी। उस सम्पूर्ण परिसर (67.0 एकड़ के स्थल) को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक बनाने का निर्णय म.प्र. शासन द्वारा लिया गया है। इस योजना के लिये वास्तुविद् के चयन हेतु शासन द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की वास्तुविद्‌ीय प्रतियोगिता आयोजित करने का दायित्व एप्को को सौंपा गया। यह प्रतियोगिता आर्किटेक्टस एक्ट 1972 के तहत गठित संस्था कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आयोजित की गयी। इस हेतु एक उच्च स्तरीय सात सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन किया गया। प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे जिसके आधार पर विभिन्न प्रदेशों के प्रतियोगियों द्वारा अपनी प्रविष्ठियां भेजी गयी थी। निर्णायक मण्डल द्वारा विजेताओं का चयन किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार विजेता को रू. 5.0 लाख, 3.0 लाख व 2.0 लाख की राशि दी जावेगी तथा तीन अन्य प्रविष्ठियों को रू. 1.00 लाख प्रत्येक को दिये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार प्राप्त प्रविष्ठि के आकल्पन के आधार पर ही स्मारक निर्माण किये जाने के निर्णय को शासन द्वारा गठित मंत्री परिषद् समिति द्वारा पुष्ठि की गयी।

महिला एवं बाल विकास संचालनालय भवन निर्माण

वर्तमान में महिला एवं बाल विकास संचालनालय का स्वयं का कार्यालय स्थल न होने के कारण होने वाली असुविधाओं के कारण अरेरा हिल्स प्रशासकीय क्षेत्र में लगभग 4.28 करोड़ का प्रशासकीय भवन निर्मित किया जा रहा है जिसमें प्रशासकीय भवन से संबंधित सुविधाएं जैसे अधिकारी कक्ष, कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था, वाचनालय एवं सभाकक्ष, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। स्थल के उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए वाहन पार्किंग व्यवस्था का विशेष ध्यान भी रखा गया है।

उज्जैन एवं जबलपुर में मल्टीकल्चरल कॉम्पलेक्स का निर्माण

म.प्र. संस्कृति परिषद् द्वारा प्रदेश एवं स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु उज्जैन एवं जबलपुर में रू. 2.00 करोड़ की लागत से मल्टीकल्चरल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इसमें लगभग 500 व्यक्तियों के बैठने हेतु सभागार तथा नाट्य संबंधित सुविधाएं सम्मिलित है।

जनजातीय संग्रहालय, भोपाल

म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश की अभूतपूर्व आदिवासी धरोहर से जन साधारण को अवगत कराने के उद्देश्य से भोपाल में श्यामला हिल्स पर एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। संग्रहालय का स्थल नव–निर्मित पुरातत्व संग्रहालय से लगा हुआ है। इन दोनों संग्रहालयों का आपस में तथा मानव संग्रहालय से इनका सामीप्य आगुंतकों को अधिक से अधिक संख्या में आकृष्ट करने में सहायक होगा। लगभग 13.39 करोड़ की लागत से बनने वाले संग्रहालय का वास्तुविद्ीय आकल्पन नई दिल्ली के सलाहकार के माध्यम से एप्को द्वारा करवाया जा रहा है।

बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मानव एवं बायोस्फियर रिजर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत पचमढ़ी क्षेत्र को बायोस्फियर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, विकास योजनाओं को बढ़ावा देना जो स्थानीय लोगों से जुड़ी हो तथा शोध, प्रशिक्षण एवं शिक्षण को बढ़ावा देना है। पचमढ़ी क्षेत्र को 3 मार्च, 1999 में बायोस्फियर रिजर्व (जैव मण्डलीय संरक्षित क्षेत्र) घोषित किया गया है। इसी तरह अमरकंटक क्षेत्र जिसमें 32 प्रतिशत क्षेत्र मध्यप्रदेश के अन्तर्गत एवं शेष क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत आता है, को भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2005 को अचानकमार बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। इन दोनों बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एप्को को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। इन योजनाओं में से ज्यादातर योजनाएं जनभागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना

वर्ष 2005–06 में भारत सरकार द्वारा कार्य प्रबंधन योजना हेतु कुल रू. 84.72 लाख की स्वीकृति प्रदान कर प्रथम चरण में रू. 50.80 लाख प्राप्त हुई। द्वितीय चरण में, वर्ष 2006–07 में शेष राशि प्राप्त हो गयी। इसमें से अभी तक रू. 75.00 लाख की व्यय की जा चुकी है। वर्ष 2006–07 की प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर आवश्यक स्वीकृति हेतु भारत शासन को शीघ्र भेजी जा रही है।

अचानकमार – अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना

वर्ष 2005–06 में भारत शासन द्वारा कार्य प्रबंधन योजना हेतु कुल रू. 93.15 लाख की स्वीकृति प्रदान कर प्रथम चरण में रू. 25.00 लाख की राशि प्राप्त हुई। द्वितीय चरण में वर्ष 2006–07 में शेष राशि भी प्राप्त हो गयी। अभी तक लगभग 81.00 लाख का व्यय हो चुका है। वर्ष 2006–07 की प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर आवश्यक स्वीकृति हेतु भारत शासन को शीघ्र भेजी जा रही है।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व हेतु लीड/समन्वयक संस्था के रूप में पहचान

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन द्वारा पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व हेतु लीड /समन्वयक संस्था के रूप में वर्ष 1999 में मान्यता दी गयी है। योजना अन्तर्गत पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र में हुए शोध कार्यों को संकलित कर उन्हें बायोस्फियर रिजर्व इन्फारमेंशन सर्विस के रूप में प्रतिवर्ष 2 बुलेटिन प्रकाशित किये जा रहे हैं। अभी तक कुल 5 (9 संख्या) बुलेटिन प्रकाशित किये जा चुके हैं। भारत शासन द्वारा वर्ष 2005–06 में कुल रू. 3.65 लाख की राशि प्रदान की गयी। भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर शेष राशि मुक्त कराने का अनुरोध किया जा रहा है।

माही योजना, जिला धार, झाबुआ

माही सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले गांवों का सर्वेक्षण तथा उनकी पुनर्बसाहट योजना तैयार करने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा एप्को को सौंपा गया है। एप्को को इस सलाहकारी कार्य हेतु रू. 12.05 लाख फीस विभिन्न चरणों में प्राप्त होगी।

माही परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः दो बांध बनाये जा रहे हैं–

1. उप बांध
2. मुख्य बांध

उप बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले 5 गांवों का सर्वेक्षण किया जाकर उनकी पुनर्बसाहट योजना मय प्रतिवेदन के जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है। वर्तमान में मुख्य बांध के अन्तर्गत आने वाले 8 गांवों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण किया जाकर उनकी पुनर्बसाहट योजना जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है।

राज्य का पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन

राज्य पर्यावरण नीति के अनुसार राज्य का पर्यावरण वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना एप्को का ध्वज वाहक कार्य है। अब तक ऐसे 4 वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं। एप्को के बहुआयामी वैज्ञानिक दल द्वारा तैयार किये जाने वाले इस वृहद अध्ययन में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के वस्तुस्थिति का सूचीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। पांचवीं पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारत शासन से भी करीब 12.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा नामित संस्था विकास विकल्प के समन्वय से एप्को द्वारा तैयार किये गये पांचवे प्रतिवेदन का लोकार्पण मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2006 को किया गया।

विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंधन योजना – भोपाल शहर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर को एक नये शहर के रूप में विकसित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल के माध्यम से शहर की विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कार्य सौंपा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भोपाल शहर की आंतरिक पर्यावरणीय एवं विकास आदि पहलुओं तथा उनके प्रभावों का अध्ययन कर हितग्राहियों से विचार विमर्श कर योजना को कार्य रूप देना है। प्रदेश में यह पहली अनूठी एवं महत्वपूर्ण योजना है जिसमें शहर को समस्त प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त कर एक सुन्दर, स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित शहर बनाना है। इस योजना को मूर्तरूप देने हेतु एप्को द्वारा पहल कर

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था मेसर्स इन्फार्स्टक्चर लीजिंग एण्ड फायनेन्शियल इकोस्मार्ट लिमिटे, नई दिल्ली (M/s IL&FS Ecosmart Ltd; New Delhi) के साथ अनुबंध कर, कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। संस्था द्वारा मार्च 2007 तक कार्य पूर्ण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

देश की नदियों के संरक्षण, शुद्धीकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनान्तर्गत मण्डलेश्वर/महेश्वर, होशंगाबाद, गंजबासौदा, नेपानगर, चित्रकूट, सीहोर, राजगढ़, मंदसौर, रीवा एवं शहडोल शहरों और उनसे प्रभावित होने वाली नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, मंदाकिनी, पार्वती, नेवाज, सोन, शिवना एवं बेहर नदियों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे गये थे।

इस परियोजना में जल–मल निकासी तंत्र, कम लागत की स्वच्छता, शवदाह, नान पाइंट प्रदूषण के स्रोत, घाट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट एवं वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है। उपरोक्त योजनाओं में दो शहरों क्रमशः बेहर नदी, रीवा एवं नर्मदा नदी, होशंगाबाद के परियोजना प्रस्ताव भारत शासन में विचाराधीन है। इन नदियों के संरक्षण हेतु भारत शासन से लगभग रू. 30.00 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

नगरीय जल निकायों का एकीकृत विकास

जलाशय/तालाब मीठे पानी के प्रमुख संसाधन है। ये स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ भूजल, पुनःभरण में भी अत्यधिक सहायक होते हैं परन्तु प्रदेश के अधिकतर शहरों में जल मल निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट, घरेलू कचरे की उचित व्यवस्था न होने के कारण तालाबों का जल प्रदूषित हो रहा है। जलग्रहण क्षेत्र में भूमि क्षरण तथा रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से वर्षा ऋतु में बारिश के साथ गाद व पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि) से जल भण्डारण क्षमता तथा जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रदेश के शहरी जल निकायों के संरक्षण तथा पर्यावरण उन्नयन हेतु यह परियोजना वर्ष 1990–91 से निरन्तर क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2006–07 में म. प्र. शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न चयनित तालाबों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण व पर्यावरण उन्नयन हेतु रू. 57.13 लाख की राशि एप्को को आवंटित की गयी है जिससे प्रदेश के सिरपुर तालाब, इंदौर जल स्त्रोतों के पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैं:–

- जलीय खरपतवार की सफाई व डिसपोजल
- बांध मरम्मत
- जल प्रदूषण रोकथाम हेतु ठोस अपशिष्ठ
- जल ग्रहण क्षेत्र में भूक्षरण रोकने हेतु सिल्ट ट्रेप, चेक डेम, वृक्षारोपण आदि
- तालाब के आसपास बफर क्षेत्र
- पार्क आदि का विकास
- पर्यावरण जागरूकता आदि कार्य

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

सागर तालाब, सागर

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अन्तर्गत सागर तालाब के पर्यावरणीय उन्नयन एवं संरक्षण तथा उसे प्रदूषण से मुक्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन रू. 4438.66 लाख का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग के पत्र क. 6626 दिनांक 18.3.2005 के द्वारा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना संचालनालय को भेजा गया था।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त उनके द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गयी थी, जिस पर राज्य शासन के प्रतिनिधियों से योजना बाबत् प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा की गयी। तदोपरान्त संशोधित परियोजना प्रतिवेदन प्रस्ताव रू. 2451.00 लाख का राज्य शासन द्वारा माह अगस्त 2006 में पुनः उन्हें भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव को भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.2.07 को स्वीकृति प्रदान की गयी।

शिवपुरी झील

सागर तालाब की तरह ही शिवपुरी तालाबों के लिए भी एप्को द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी. पी.आर.) तैयार कर केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। शासन द्वारा

राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। वर्ष 1993–94 से एप्को मध्यप्रदेश के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पर्यावरण के क्षेत्र में रूचि रखने वाली शासकीय/अशासकीय एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता रहती है। वर्ष 2005–2006 के अभियान का विषय **''ठोस अपशिष्ट प्रबंधन''** निश्चित किया गया है। इस वर्ष 1980 प्रतिभागियों के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से चयनित संस्थाओं को रू. 5000/– से रू 20,000/– तक का अनुदान दिया जाता है। इस हेतु एप्को को भारत शासन से वर्ष 2005–06 में रू. 41.40 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ था। इसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 6 आंचलिक पर्यावरणीय जागरूकता उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन भी एप्को द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय हरित कोर योजना

विद्यालयों में पर्यावरण चेतना जागृत करने हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पर्यावरणीय विषयों पर रूचि रखने वाले छात्र/ छात्राओं के लिए इको–क्लब का गठन किया जा चुका है। योजनान्तर्गत विद्यालय का शिक्षक ही क्लब का संयोजक होता है। प्रदेश के समस्त 48 जिलों के विद्यालयों के संयोजकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं अनुदान राशि रू. 2500/– प्रति विद्यालय भी मुक्त की जा चुकी है। प्रत्येक जिले में दो मास्टर ट्रेनर्स का चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

एप्को द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तर के पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2006–2007 के दौरान कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभी तक 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इंदिरा गांधी फेलोशिप

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त मध्यप्रदेश के रहने वाले 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह फेलोशिप पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध कार्य करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 1986 से प्रारम्भ की गयी है। इस वर्ष की फेलोशिप हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये तथा समिति का गठन किया गया है। आवेदनों में से .चयन की प्रक्रिया चल रही है।

बेवसाइट

संस्था की नवीन बेवसाइट www.epco.in प्रारंभ की जा चुकी है। इस बेवसाइट में पर्यावरण संबंधी जानकारी के अतिरिक्त संस्था के कार्यकलापों की जानकारी भी उपलब्ध है।

पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास

संगठन द्वारा पर्यावरणीय विषयों पर उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित कर पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास किया गया है। इस सूचना केन्द्र में उत्कृष्ट पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, रिपोर्ट का लगभग 5000 प्रलेखों का संकलन है। पुस्तकालय का उपयोग संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शोधार्थी भी करते हैं।

स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत पर्यावरणीय संस्था के रूप में उपयोजनाओं का पर्यावरण आंकलन

गरीबों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय प्राप्ति के साधनों का विकास करना योजना का उद्देश्य है। पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बगैर येाजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण आंकलन व पर्यावरण प्रबंधन हेतु विश्व बैंक द्वारा एप्को को पर्यावरणीय संस्था के रूप में चयनित कर योजनान्तर्गत (योजना अवधि 5 वर्ष) चयन किये गये 14 जिलों में चलायी जाने वाली उपयोजनाओं के पर्यावरण आंकलन व प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया था जिसके तहत निम्नलिखित कार्य किये गये।

1 **प्रशिक्षण –** योजना के प्रारंभ में विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की मार्गदर्शिका निर्धारित करना, प्रारूप तैयार कर प्रशिक्षण देना है। विस्तृत प्रशिक्षण एवं मध्यावधि पुनर्प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है।

2 **निरीक्षण–** क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के उपरांत पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों का निरीक्षण करना, साथ ही एप्को द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संस्था को

प्रस्तुत करना है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का आंकलन किया जाता है सात मानिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

3 **पर्यावरणीय मार्गदर्शिका तैयार करना–** गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले 14 जिलों का पर्यावरणीय प्रोफाइल तैयार करना, साथ ही स्थान विशेष से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में विशेषज्ञ के रूप में उचित दिशा निर्देश प्रदान करना है। प्रथम प्रतिवेदन के साथ जिला पर्यावरण प्रोफाइल दे दी गयी है तथा सभी रिपोर्ट में विशेष सलाह शामिल की जाती है।

परियोजना का कार्य 5 वर्ष का था जो अगस्त 2006 में पूर्ण हो गया है। योजना की कुल लागत रू. 45.00 लाख है (यात्रा एवं दैनिक भत्ता छोड़कर)। अभी तक योजनान्तर्गत रू. 24.00 लाख की राशि संगठन को प्राप्त हो चुकी है।

द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं एवं परियोजनाएं

संगठन द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय कार्यक्रमों (Bilateral Programmes) के माध्यम से परियोजना प्राप्त करने की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से प्रयास आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर लघु व मध्यम अवधि के प्रस्ताव तैयार कर अनुदान देने वाली विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रेषित किये गये। इस तारतम्य में छत जल संचय विषय के शिक्षण व सम्प्रेषण विषय पर एक लघु प्रस्ताव **'सीडा'** द्वारा स्वीकृत किया गया तथा दूसरा मध्यम अवधि का प्रस्ताव जो संगठन के संरचनात्मक सुधार व सुदृढ़ीकरण से संबंधित है, को डी.एफ.आई.डी. को प्रेषित किया गया है।

1. एप्को के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु डी.एफ.आई.डी. से सहायता

पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एप्को की भूमिका को सुनिश्चित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित और संतुलित उपयोग के आधार पर प्रदेश की विकास योजनाओं में पर्यावरणीय संरक्षण की अनिवार्यताओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से संगठन द्वारा एक परियोजना ब्रिटेन सरकार के विभाग डी.एफ.आई.डी. द्वारा स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से एप्को की वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। पर्यावरण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी अमले की क्षमताओं का विकास किया जा रहा है।

परियोजना हेतु डी.एफ.आई.डी. द्वारा लगभग 6.06 करोड़ की अनुदान राशि परियोजना शुरू होने के दिन से 2 वर्ष हेतु दी जा रही है। परियोजना हेतु डीएफआईडी ने परामर्शी संस्था ई.आर.एम. इंडिया को नियुक्त किया है। परियोजना पर कार्य चल रहा है एवं परियोजना का कार्य 31 मार्च 2007 तक पूर्ण किया जाना है।

2. जल संचय विवेचन केन्द्र

सीडा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अन्तर्गत पर्यावरण परिसर में वर्षा जल संचय विवेचन केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय **– निरंक**

भाग – पांच

अभिनव योजना

एप्को के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु डी.एफ.आई.डी. से सहायता

पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एप्को की भूमिका को सुनिश्चित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित और संतुलित उपयोग के आधार पर प्रदेश की विकास योजनाओं में पर्यावरणीय संरक्षण की अनिवार्यताओं को सम्मिलित करने के उद्‌देश्य से संगठन द्वारा एक परियोजना ब्रिटेन सरकार के विभाग डी.एफ.आई.डी. द्वारा स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से एप्को की वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। पर्यावरण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी अमले की क्षमताओं का विकास किया जा रहा है।

परियोजना हेतु डी.एफ.आई.डी. द्वारा लगभग 6.06 करोड़ की अनुदान राशि परियोजना शुरू होने के दिन से 2 वर्ष हेतु दी जा रही है। परियोजना हेतु डीएफआईडी ने परामर्शी संस्था ई.आर.एम. इंडिया को नियुक्त किया है। परियोजना पर कार्य चल रहा है एवं परियोजना का कार्य 31 मार्च 2007 तक पूर्ण किया जाना है।

भाग – छः

प्रकाशन

पर्यावरण के क्षेत्र में जन साधारण में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से अर्द्धवार्षिक पत्रिका पर्यावरण टुडे का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में पर्यावरण संरक्षण एवं उन्नयन से संबंधित तकनीकी शोध पत्र, लोक रूचि आलेख, स्थायी स्तम्भ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण से संबंधित रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं।

भाग – सात

राज्य महिला नीति एवं कार्ययोजना

राज्य महिला नीति की कार्य योजना के पालन में राज्य की महिला आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर संगठन द्वारा अमल किया जा रहा है। संगठन में कार्यरत महिलाओं के लिए समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गयी है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। संगठन द्वारा महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। संगठन की महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, राज्य महिला नीति के तहत समिति का गठन किया गया है। एक महिला अधिकारी श्रीमती साधना तिवारी, वरिष्ठ शोध अधिकारी को समिति का नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण एवं इसके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में योगदान देते हुए संगठन को राज्य के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान हेतु नोडल एजेन्सी चुना गया है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना के पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण जैव–विविधता क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण

भाग – एक

संरचना

भोपाल के बडे तथा छोटे तालाबों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉऑपरेशन (JBIC) की सहायता से भोज वेटलैण्ड परियोजना वर्ष 1995 से दिनांक 12 जून 2004 तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की गई। भोज वेटलैण्ड परियोजना के अंतर्गत भोपाल के बड़े एवं छोटे तालाब के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु कई ठोस कार्य किये गये हैं।

भोज वेटलैण्ड परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि भोपाल तालाब का पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य एक ही बार का प्रयास नहीं हो सकता है। अतः परियोजना के अंतर्गत किये गये कार्यो को उत्प्रेरक के रूप में लेते हुए विकास कार्यों को निरंतर क्रियाशील रखने तथा परियोजना क्रियान्वयन के अनुभव को प्रदेश स्तर पर अन्य जलाशयों के उचित प्रबंधन में उपयोग के उद्देश्य से म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना एक समिति के रूप में, म. प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत मई 2004 को की गई एवं इसकी स्वीकृति दिनांक 26.05.04 को मंत्रीपरिषद की बैठक में प्रदान की गई।

अध्यक्ष	**श्री प्रभु दयाल मीना**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	**श्री हरि रंजन राव**

उद्देश्य

झील संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :

- प्रदेश के जल संसाधनों का स्वपोषी पर्यावरणीय प्रबंधन, संरक्षण एवं रख रखाव करना।
- जल संसाधनों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना।
- जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा करना।

अधीनस्थ कार्यालय

प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में है एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय निरंक हैं।

भाग – दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण कार्यालय को शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में बजट के अंतर्गत कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्राधिकरण को जे.बी.आई.सी. से प्राप्त राशि रु. 24 करोड़ जो कि शासन के निर्देशानुसार विंध्यांचल कोषालय भोपाल में जमा कर दी गई है। इस जमा राशि पर

प्राप्त ब्याज राशि रु. 138 लाख प्रतिवर्ष के विरूद्ध 2005–06 में राशि रु. 132 लाख उपलब्ध कराई गई जिसके विरूद्ध राशि रु. 139.86 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2006–07 में जमा राशि पर ब्याज राशि रु. 138 लाख प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध प्राधिकरण कार्यालय द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से माह सितम्बर 06 तक राशि रु. 79.50 लाख का व्यय किया जा चुका है।

स्वीकृत सेटअप

म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 45 पद स्वीकृत है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी, सहायक यंत्री, लेखा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण सम्मिलित हैं।

भाग – तीन

अ एवं ब – राज्य एवं केन्द्रीय योजनाएँ

- राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना एवं राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजना प्रस्ताव तैयार कर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गये।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम
रानी तालाब, रीवा	यशवंत सागर, इंदौर
संग्राम सागर, जबलपुर	बारना जलाशय, रायसेन
महेन्द्र सागर, टीकमगढ़	गोविन्दगढ़ तालाब, रीवा
बैनी सागर– पन्ना, पुरैना तालाब– दमोह,	सिरपुर तालाब, इंदौर काला तालाब– आष्टा सीहोर

- जिला प्रशासन, नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण के लिए निम्न तालाबों का संरक्षण योजना तैयार की गई।

अमृतसागर, रतलाम	कोल्हा ताल,जबलपुर
मोतिया तालाब, भोपाल	सूपा ताल, जबलपुर
रानी तालाब, जबलपुर	हनुमान ताल, जबलपुर
महाराजा तालाब, जबलपुर	माचलपुर तालाब– रायगढ़, बैनी सागर– पन्ना, पुरैना तालाब– दमोह, काला तालाब– आष्टा सीहोर

प्राधिकरण द्वारा संचालित अन्य गतिविधियाँ

- भोपाल स्थित छोटे एवं बड़े तालाबों का मासिक जल गुणवत्ता ऑकलन एवं विकास उन्मुखी कार्यों के प्रभाव में मूल्यांकन।

- भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत निर्मित जलमल उपचार संयंत्र की जलगुणवत्ता आंकलन

- जन साधारण एवं संस्थाओं को सलाहकारिता सेवाओं के अंतर्गत पेयजल, प्रदूषित जल, सीवेज, ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट शुल्क आधारित विशलेषनात्मक रिपोर्ट प्रदाय करना।
- मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में स्थित जलाशयों की जल गुणवत्ता विश्लेषण एवं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न नदियों (जैसे– बेतवा, नर्मदा, शिवना, ताप्ती आदि) की जल गुणवत्ता ऑकलन

- विभिन्न संस्थाओं को प्रयोगशाला आधारित सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना जिसमें कि जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का ऑकलन प्रमुख रूप से सम्मिलित है।

- प्रयोगशाला में जल गुणवत्ता विश्लेषण पर शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों को शोध अध्ययन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

- गणेश तथा दुर्गा मूर्ति विसर्जन के प्रभाव का ऑकलन

- प्रदेश के विभिन्न जलाशयों, नदियों एवं अन्य जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन की योजनाएँ तैयार करना।

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करना तथा देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यशालाएँ एवं सेमिनार में सम्मिलित होना तथा अनुभवों का आदान प्रदान करना।

- प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई एवं संचालित योजनाओं के आंकलन एवं मूल्यांकन का कार्य किया जाना एवं क्रियान्वयन संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन देना।

- प्राधिकरण द्वारा जल आधारित भोपाल का मास्टर प्लान तैयार कर भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है जो कि देश में प्रथम बार प्रयास है।
- प्राधिकरण द्वारा बेतवा बेसिन संरक्षण एवं संवर्धन की योजना जिसमें शाहपुरा तालाब एवं कलियासोत नदी एवं भोपाल से विदिशा तक बेतवा नदी तथा संबंधित प्रदूषण कारक स्त्रोतों के प्रबंधन परियोजना तैयार कर भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माध्यम से जापान की वित्तीय सहायता प्राप्त करने भेजा गया है।

- इसके अतिरिक्त बाह्य वित्त पोषित योजना अंतर्गत भोपाल शहर के जल संसाधनों के संरक्षण हेतु मास्टर प्लान एवं बेतवा नदी व शाहपुरा तालाब के पर्यावरण संरक्षण योजना प्रस्ताव तैयार कर पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को वित्तीय सहयोग हेतु भेजा गया।

- रानी तालाब रीवा के योजना प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन एवं राज्य शासन से प्राप्त वित्तीय सहायता के द्वारा क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है जिसकी लागत रु. 331.55 लाख है।

- प्राधिकरण द्वारा वेटलैण्ड, तालाबों एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जन मानस को जागरूक एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न अवसरों (जैसे–विश्व वेटलैण्ड दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस) पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम (जैसे– कार्यशालाएँ, प्रतियोगिताएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि) का आयोजन किया गया।

- भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत निर्मित इंटरप्रिटेशन सेंटर का नियमित संचालन एवं रखरखाव के साथ ही इसके विस्तार एवं उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा गया।
- बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर चयनित आठ गॉवों में जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अंतर्गत कृषक समूहों के साथ निरंतर समूह बैठकों का आयोजन, कृषकों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम एवं जैविक कृषि प्रक्षेत्रों का भ्रमण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कार्यक्रम के अंतर्गत बैनी सागर पन्ना एवं पुरैना तालाब दमोह के पर्यारण संरक्षण योजना प्रस्ताव तैयार कर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं।

- मंदसौर नगर की UIDSSMT योजना के अंतर्गत नगर के संरचना विकास योजना तैयार की जा रही है।

- जिला सागर स्थित रहली नगर में सोनार नदी एवं नदी के तटवर्ती क्षेत्र का पर्यावरण संरक्षण एवं परशुराम तालाब–नरसिंहगढ़ की पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य अंतिम चरण पर है।

वेबसाईट

संस्था की संरचना एवं विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित जानकारी वेबसाईट **www.epco.in** में उपलब्ध है।

स. विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाएँ

निरंक

उ. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ/परियोजनाएँ

निरंक

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

विधान सभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी दी जाती है एवं भोज वेटलैण्ड परियोजना के कार्यों से संबंधित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों तथा

लोकायुक्त प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा संबंधित क्रियान्वयन संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर निराकरण किया जाता है।

म. प्र. तालाब, झील तथा अन्य जलस्त्रोतों का संरक्षण विधेयक तैयार कर विभाग के माध्यम से विधि विभाग को भेजा गया था। जिसका अनुमोदन विधि विभाग द्वारा कर दिया गया है। उक्त विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर की जा रही है।

भाग – पॉच

अभिनव योजना निरंक

भाग – छः

प्रकाशन

पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में जन साधारण में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विश्व वेटलैण्ड दिवस 2005 एवं विश्व जल दिवस 2005 पर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इन पत्रिकाओं में म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण की गतिविधियॉ एवं भोपाल के समस्त जल संसाधनों की जानकारी प्रकाशित की गई।

भाग – सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य की महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर प्राधिकरण द्वारा अमल किया जा रहा है। प्राधिकरण में कार्यरत महिलाओं के लिए समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

भाग – आठ

सारांश

म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन सहायतित भोज वेटलैण्ड परियोजना के समापन के पश्चात् परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यों एवं निर्मित परिसंपत्तियों के संधारण तथा प्रदेश के विभिन्न जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एक प्रमुख सलाहकारी संस्था है।

आपदा प्रबंध संस्थान

भाग–एक

संरचना

आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना 19 नवम्बर, 1987 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1995 में इसे मध्य प्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मध्यप्रदेश के मान्नीय मुख्य मंत्री, संस्थान की साधारण सभा के सभापति एवं माननीय पर्यावरण मंत्री उप–सभापति हैं। संस्थान के प्रबंधन एवं कार्यकलापो के संचालन हेतु कार्यकारिणी परिषद गठित है। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, कार्यकारणी परिषद् के अध्यक्ष एवं कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, सदस्य सचिव है।

अधीनस्थ कार्यालय का विवरण

संस्थान का मुख्यालय पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल में स्थित है। संस्थान के अंन्तर्गत अन्य कोई भी अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नही है।

दायित्व

संस्थान द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :–

1. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं की रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
2. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध कराना;
3. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं की रोकथाम, निरोध उनके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये जन सामान्य हेतु जन जागृति कार्यक्रमों को आयोजित करना;
4. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदा प्रबंधन के विषयों पर सूचनाओं का संकलन, प्रलेखन एवं शोध कार्य सम्पादित करना।

सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताएं

संस्थान का प्रमुख उद्‌देश्य प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इनसे जन सामान्य पर होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास एवं प्रसार करना है। संस्थान, प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं से संबंधित विषयों पर शासकीय, अर्ध शासकीय एवं निजी संस्थानों के अमले में आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, साथ ही जन सामान्य हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जन–जागृति कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त देश एवं प्रदेश के खतरनाक उधोगों, आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन में संलग्न शासन के विभिन्न विभागों एवं राष्ट्रीय संस्थानों को आपदा प्रबंधन विषय पर परामर्श सेवा एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान करता है।

अपनी स्थापना के 20 वर्षों के उपरान्त, संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवा प्रदान करने वाली एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। संस्थान द्वारा विगत वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उपयोग में आने वाले विशिष्ट सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्रय किए गए हैं एवं विश्व के प्रमुख संस्थानों से समन्वय के द्वारा तकनीकी क्षमता में वृद्धि की गयी है।

संस्थान की तकनीकी योग्यताओं का लाभ देश के प्रमुख औधोगिक प्रतिष्ठान और आपदा प्रबंधन में संलग्न विभिन्न संस्थान ले रहे है। संस्थान, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी क्षमता को अधिक सुदृढ़ करते हुये, भविष्य में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपने को स्थापित करने हेतु अग्रसर है। संस्थान द्वारा संपादित किये जाने वाली प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, संस्थान की प्रमुख गतिविधि है। इसके तहत संस्थान द्वारा स्थापना के समय से ही समस्त प्रासंगिक विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस गतिविधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन से जुडे विभिन्न विभागों, खतरनाक उधोगों, एवं स्वंय सेवी संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

परामर्श सेवा

दक्ष तकनीकी अमले की नियुक्ति, विशिष्ट वैज्ञानिक उपकरणो एवं सॉफ्टवेयर की उपलब्धि, संकाय सदस्यो का देश एवं विदेश के विशिष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण आदि से संस्थान द्वारा खतरनाक उद्धोगो के सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित निम्न विषयों पर परामर्श सेवा देने की क्षमता विकसित की गयी है :–

1. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं हेतु आपतकालीन कार्य योजना ;
2. खतरनाक औधोगिक क्षेत्रो की ऑन– साइट एवं ऑफ– साइट योजना ;
3. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं के खतरो का विश्लेषण ;
4. हजार्ड आईडेन्टीफिकेसन एन्ड रिस्क ऐसेसमेन्ट
5. खतरनाक उधोगों का सेफ्टी ऑडिट

इस गतिविधि के अंतर्गत देश एवं प्रदेश के खतरनाक उधोगों, प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंधन मे संलग्न शाासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों आदि को परामर्श सेवा उपलब्ध कराया जाता है।

जनजागृति कार्यक्रम

यदि जनसामान्य आपदा बचाव से संबंधित पहलुओं की जानकारी रखता है तो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या औधोगिक आपदा के समय वह उससे बचाव के प्राथमिकी उपायों का कारगर ढंग से अनुसरण कर, संभावित हानि को कम कर सकता है। इस गतिविधि के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गो जैसे विधार्थी, औधोगिक क्षेत्रो में रहने वाले जन सामान्य, ग्रामीण समुदाय, नीति निर्धारक, स्वयंसेवी संगठनो आदि हेतु प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रो में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सूचना एवं प्रलेखन

इस गतिविधि के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं तथा इनकी रोकथाम व सुचारू प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर उपलब्ध सूचनाओं का संकलन एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। आपदा प्रबंधन पर जन चेतना हेतु समुचित उपयोगी सामग्री का विकास एवं विभिन्न गतिविधियों व माध्यमों से उक्त सामग्री का लोकहित हेतु वितरण एवं प्रसारण किया जाता है।

संस्थान ने अपनी वेबसाइट को अधतन कर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयो पर उपलब्ध नवीन सूचनाओं, प्रलेखों, दिशानिर्देशों, संपर्क सूत्रों की सुगमता सुनिश्चित की है। संस्थान द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों व बहुउपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन सतत् रूप से किया जा रहा है। इस अवधि में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत संस्थान द्वारा एक मेनुअल भी विकसित किया गया है ताकि जन सामान्य संस्थान से संबंधित सूचनाओं को सुगमता से प्राप्त कर सकें।

भाग–दो

बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में संस्थान को राशि रूपये 61.00 लाख का बजट आवंटन राज्य आयोजनाअर्न्तगत प्राप्त हुआ था। वर्ष 2006–2007 में राज्य आयोजना अर्न्तगत प्रावधानित राशि रूपये 67.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार मदों में स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्व राशि रूपये 50.52 लाख की स्वीकृति दिसम्बर, 2006 तक प्राप्त हुई हैः–

विवरण	राशि लाख में
प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.00
जनजाग्रति कार्यक्रम	3.00
स्थापना व्यय	58.00
पुस्तकालय	3.00
कुल योजना प्रावधान	**67.00**

भाग–तीन

राज्य योजनाएं

राज्य योजना के अन्तर्गत संस्थान निम्न कार्य निष्पादित करता है :–

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2006–07 में दिसम्बर माह तक संस्थान द्वारा 38 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है जिनमें से 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर तथा 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम औद्योगिक आपदा प्रबंधन पर आधारित था। मार्च 2007 तक शेष 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना हैं।

इस गतिविधि के अंतर्गत संस्थान मुख्यालय भोपाल एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इस वर्ष आयोजित किए गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः–

संस्थान मुख्यालय भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य शासन के विभागों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान मुख्यालय में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व, गृह (पुलिस, होमगार्ड) नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामिण विकास, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण वाणिज्य एवं उधोग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ यंत्रिकी विभागों के, मिडल स्तर एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वंय सेवी संगठनों को उनके विभागों से संबंधित आपदा प्रबधन के विषयो पर प्रशिक्षत किया गया है । इस वर्ष दिसम्वर 06 तक इन विभागो हेतु कुल 07 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इकाई द्वारा आयोजित किया गया।

इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम (आईसीएस) पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

गृह मंत्रालय भारत शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया है। इसके तहत वर्ष 2006–07 के दौरान संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यो के प्रशासनिक अधिकारियों को इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम विषय पर प्रशिक्षित करने हेतु 06 राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शेष 01 कार्यक्रम आगामी माहों में सम्पन्न किया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं काश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु ,छत्तीसगढ़, दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसके अर्न्तगत इस वर्ष नावार्ड हेतु 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इकाई द्वारा किया गया।

स्पेशियल इन्वॉयरमेन्टल प्लानिंग के अर्न्तगत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 8 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में 'स्पेशियल इन्वॉयरमेन्टल प्लानिंग' के क्षेत्र में मानव संसाधन में क्षमतावृद्धि हेतु चुना गया है। इस कार्यक्रम हेतु 'जी.टी.जेड' एवं 'इनवेन्ट' द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत आपदा प्रबंन्धन से जुडे विभिन्न विषयो पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। इसके तहत इस वर्ष औद्योगिक आपदा प्रबंधन इकाई द्वारा 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन संस्थान द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इसके अर्न्तगत इस वर्ष औद्योगिक आपदा प्रबंधन इकाई द्वारा इस वर्ष दिसम्बर 06 तक 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम, भारत शासन के अर्न्तगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत, संस्थान में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन हेतु नियमित रूप से राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जन–समुदाय हेतु आपदा प्रबंध के क्षेत्र में जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान परिसर के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2006–07 में संस्थान द्वारा अभी तक जबलपुर,सतना,कटनी,सागर, उमरिया, छतरपुर, होशंगावाद एवं बुरहानपुर में जिला आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत इन जिलों में स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु 08 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिले में संभावित आपदाओं (विशेषकर बाढ़ एवं भूकंप) के प्रबंधन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के अर्न्तगत मुख्य रूप से अभ्यास भी कराया जाता है।

संस्थान मुख्यालय से बाहर महत्वपूर्ण संस्थानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

ओएनजीसी, आईओसील, एनटीपीसी, एनएफएल, इसरो जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा इन संस्थाओं के मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

प्रशिक्षण में विशिष्ट उपलब्धियाँ

गृह मंत्रालय भारत शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में **इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम** पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया है। इसके तहत संस्थान द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक, पुलिस तथा अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु 3 प्रशिक्षण आयोजित किया गया तथा इसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रशिक्षण मार्च 07 तक सम्पन्न किया जायेगा।

इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (एडवान्स) राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए आपदा प्रबंध संस्थान के कार्यपालन संचालक श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी एवं इस अवसर पर उपस्थित श्री एस. एन. मिश्रा, आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

संस्थान को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (रा.आ.प्र.प्रा.) द्वारा रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन विषय पर एक विशेषज्ञ संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 07–08 सितम्बर 2006 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें रासायनिक दुर्घटना प्रबंधन में देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ एवं वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन की रूप रेखा तय की गयी।

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर रा.आ.प्र.प्रा. के उपाध्यक्ष जनरल एन. सी विज, (बीच में) , प्रमुख सचिव आवास एव्र पर्यावरण मध्य प्रदेश शासन श्री प्रभु दयाल मीना जी, रा.आ.प्र.प्रा. के सदस्य ले. ज. जे. आर. भारद्ववाज, आपदा प्रबंध संस्थान के कार्यपालन संचालक श्रीमती

जन–जागृति कार्यक्रम

संभावित आपदाओं के रोकथाम, उनके दुष्प्रभावो के न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य के जबलपुर, सतना, कटनी, सागर, उमरिया, छतरपुर, होशंगाबाद एवं बुरहानपुर जिला में दिसम्बर माह तक 09 जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है।

सूचनाओ का प्रलेखन एवं शोध कार्य

आपदा प्रबंधन एक व्यापक विषय है जिसपर निरंन्तर खोज, सूचनाओं एवं जानकारियों का संकलन एव अध्ययन की आवश्यकता है इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर उत्कृष्ट पुस्तकालय की स्थापना की गयी है, जिसमें वर्तमान में आपदा प्रबंधन विषय से सम्बन्धित 3300 पुस्तकें एवं 720 जर्नल्स उपलब्ध हैं। पुस्तकालय की सेवाओं के उपलब्धता को और सुगम बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजना

संस्थान अपने स्थापना काल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है एवं प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियॉ संचालित कर रहा है। संस्थान के विशिष्ट ज्ञान एवं क्षमता को देखते हुये केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नांकित परियोजनाओं के संचालन हेतु संस्थान का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है :–

1	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	एनविस नोड की स्थापना
2	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	स्पेशियल एन्वायरमेन्ट प्लानिंग विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थान का चुनाव
3	गृह मंत्रालय	इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तरी भारत के लिये क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में संस्थान का चुनाव
4	गृह मंत्रालय	सेन्द्र्ल सेक्टर स्कीम के तहत् प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ हेतु संस्थान का चुनाव

- भारत सरकार की सेन्ट्र्ल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत, संस्थान में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंन्धन हेतु नियमित रूप से राज्य शासन के

विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जन–समुदाय हेतु आपदा प्रबंध के क्षेत्र में जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के **"एन्वॉयरमेन्टल इनफॉरमेशन सिस्टम"** योजना के अन्तर्गत संस्थान में एक **"एनविस" केन्द्र मध्यप्रदेश** की स्थापना की गयी है। इस नोड की सहायता से संस्थान द्वारा पर्यावरणीय और आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित सूचना को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एनविस नोड की उत्कृष्ट कार्य को देखते हुऐ इसे एनविस केन्द्र के रूप में मान्यता दी गयी है। संस्थान को एनविस हेतु वित्तीय सहायता पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गयी है। एनविस केन्द्र द्वारा एक मासिक न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जा रहा है।

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें

वर्तमान में संस्थान में विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना नही चलाई जा रही है।

विदेश सहायता प्राप्त योजना परियोजना

वर्तमान में संस्थान में विदेश सहायता प्राप्त कोई योजना नही चलाई जा रही है।

अन्य योजनाऐं

- गृह मंत्रालय भारत शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया है। इसके तहत संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यो के प्रशासनिक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा अपनाई गयी इस नवीन प्रबंधकीय तंत्र का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 8 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में 'स्पेशियल इन्वॉयरमेन्टल प्लानिंग' के क्षेत्र में मानव संसाधन में क्षमतावृद्धि हेतु चुना गया है। इस कार्यक्रम हेतु 'जी.टी.जेड' एवं "इनवेन्ट" द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन से जुडे विभिन्न विषयो पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

- सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत संस्थान द्वारा सूचना अधिकार मैनुअल विकसित किया गया है। इस मैनुअल के माध्यम से जन सामान्य संस्थान की किया कलापों की जानकारी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। मैनुअल को संस्थान के बेवसाइट पर भी अद्यतन किया गया है।

भाग–पांच

अभिनव योजना

- संस्थान द्वारा प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंन्धन हेतु विशिष्ठ तकनीकी दक्षता हासिल की गयी है इसके फलस्वरूप संस्थान देश के महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सलाहकारिता सेवा प्रदान कर रहा है। संस्थान की विशिष्ट वैज्ञानिक सेवाओं का उपयोग प्रदेश एवं केन्द्र शासन के अतिरिक्त देश के निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम जैसे नावार्ड, एन टी पी सी, नाल्को, आइ ओ सी एल,ओन जी सी आदि ले रहे हैं।

- संस्थान द्वारा **भूकंपरोधी मकानों के निमार्ण तकनीक हेतु एक हैण्डबुक एवं मार्गदर्शिका विकसित की गयी है।** हैण्डबुक में जो उपयोगी सूचनाऐं एवं जानकरियॉ दी गयी है उससे भूकंप प्रभावित क्षेत्रो में रहने वाले नागरिको को सुरक्षित मकान निर्माण तकनीक अपनाने में काफी सहूलियत होगी। इस अवधि में मैन्यूल का हिन्दी में रूपान्तर कार्य किया गया। इस कार्य हेतु गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इस हैण्डबुक की प्रति प्रदेश के सभी जिलों में भूकंप रोधी निर्माण से संबंधित नियमों को उद्वृत करते हुए भेज दी गयी है ताकि जिला स्तर पर भूकंप रोधी निर्माण तकनीक को अपनाया जा सकें।

भूकंपरोधी मकानों के निमार्ण तकनीक हेतु एक हैण्डबुक एवं संक्षिप्त मार्गदर्शिका का बिमोचन करते हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री ईश्वर दास रोहाणीं। इस अवसर पर संस्थान के संचालक कर्नल ए.के.एस. परमार एवं जबलपुर जिले के जिलाध्यक्ष श्री संजय दुबे भी उपस्थित थे।

भाग – छः

संस्थान द्वारा एनविस योजना के अंतर्गत न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनसामान्य को प्राकृतिक और औधोगिक आपदाओं के संभावित प्रभावों से बचाव एवं पूर्व तैयारी हेतु जनजागृति सूचना पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है।

भाग–सात

राज्य की महिला नीति के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के पालन पर संस्थान द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। संस्थान में कार्यरत महिला कर्मियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संस्थान में मूलभूत भौतिक सुविधाओं को वेहतर किया गया है। महिला उत्पीड़न को रोकने हेतु एक समिति बनाई गई है। अभी तक इस समिति के समक्ष किसी भी महिला कर्मी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यह तथ्य संस्थान में उच्च कोटि के अनुशासन को परिलक्षित करता है।

संस्थान के मुख्य गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जन–जागृति कार्यक्रम में महिला वर्ग की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेंष जोर दिया गया है। इस वर्ष संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक रही है।

भाग–आठ

सारांश

संस्थान स्थापना काल से ही अपने उददेश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है। प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करते हुए संस्थान द्वारा इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे इसरों, ओएनजीसी, एनटीपीसी आदि को प्रशिक्षण एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान की गयी।

इस वर्ष संस्थान द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारियों हेतु इन्सीडेंट कमाण्ड सिस्टम पर दो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया। यह इस वर्ष की संस्थान की विशेष उपलब्धि रही। संस्थान अपनी विशिष्ट जानकारी एवं कार्यो की वजह से आपदा प्रंबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा मध्यप्रदेश राज्य में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है।

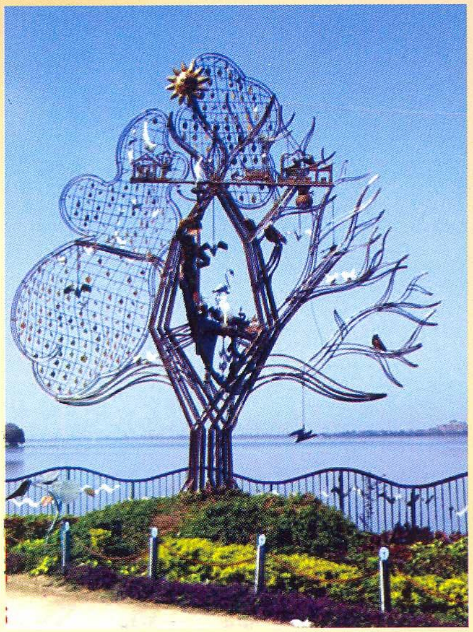

संकलन एवं आकल्पन
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
भोपाल

PRINTED BY : AADARSH PRINTERS & PUBLISHERS, BHOPAL. PH. 2555442